आवास भारती

वर्ष 11, अंक 41, अक्तूबर-दिसंबर, 2011

राष्ट्रीय आवास बैंक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संयोजक :

दिल्ली बैंक नराकास अंतः बैंक हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता - वर्ष 2010-11

प्रमाण-पत्र

आवास भारती ...(पत्रिका का नाम) के लिए (कार्यालय) राष्ट्रीय आवास बैंक

को अंतः बैंक हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में......प्रथम............स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदत्त।

अध्यक्ष

नई दिल्ली

दिनांक : 23.12.2011

राष्ट्रीय आवास बैंक
के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.वी. वर्मा
की ओर से
नववर्ष एवं बैंक के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर
संदेश

प्रिय साथियो,

हमारी यह मनोकामना है कि आप सभी के लिए नव वर्ष 2012 खुशियों और समृद्धि से भरपूर हो। यह आप और आपके परिवार को अनेक नए एवं रोचक अवसर प्रदान करे, जीवन को सुख-सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशियों से भरपूर बनाए।

विगत वर्ष (2011) रा.आ.बैंक के लिये लक्ष्यों की प्राप्ति, ग्रामीण आवास पर प्रभाव डालने और देश में सुदृढ़ तथा मजबूत आवास वित्त प्रणाली के विस्तार में अन्य अनेकों विकासात्मक प्रयासों के कारण विशेष महत्वपूर्ण रहा। रा.आ.बैंक अपने सकल ऋणों एवं अग्रिमों में अपने प्रथम लक्ष्य 20,000 करोड़ रु. को पार कर सका और वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ग्रामीण आवास ऋण का संवितरण 5790 करोड़ रु. रहा। मैं आप सभी को अथक प्रयासों के लिये धन्यवाद देता हूं और प्रगाढ़ परस्पर संबंधों के बने रहने की आशा करता हूं, जिससे कि हम सफलताएं प्राप्त करते रहें।

हम 2012 में अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिये हमारे पास अन्य अनेकों कार्यक्रम और सुअवसर हैं। किसी भी संस्थान के जीवन में रजत जयंती विशेष महत्व रखती है; क्योंकि यह बढ़ती आयु एवं परिपक्वता की परिचायक होती है और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से हम अपने प्रयासों में सफल होंगे। इस रजत जयंती वर्ष 2012 में हम अपने सकल ऋणों तथा अग्रिमों में एक नई उच्च उपलब्धि यथा 25,000 करोड़ रु. के लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।

हम रजत जयंती को एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं और इस दिशा में हम आपके सहयोग व सहायता की अपेक्षा करते हैं। इस दिशा में भविष्य के लिये योजना बनाने हेतु आत्मविश्लेषण करें और उनका संचय करें, ऐसी हम आशा करते हैं।

9 जुलाई, 2012 से शुरू होकर वर्ष भर चलने वाले रजत जयंती समारोह मनाने के दौरान अनेक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें आप सब का योगदान अपेक्षित है। मैं रा.आ.बैंक की ओर से आप सभी को इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए सहर्ष आमंत्रित करता हूं।

रजत जयंती समारोह के अंत में, एक रजत जयंती स्मारिका का विमोचन किया जाएगा, जिसमें संस्थान के इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा।

हम आप सभी से सक्रिय सहयोग, समर्थन और सहभागिता की अपेक्षा करते हैं।

(आर.वी.वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आपकी पाती

14 दिसंबर, 2011

महोदय,

आपके पत्र के साथ संलग्न हिंदी गृह पत्रिका 'आवास भारती' का जुलाई–सितंबर, 2011 का अंक प्राप्त हुआ। हमें इस बात की महती प्रसन्नता है कि आपकी पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। अतः हमारा धन्यवाद स्वीकारें।

पत्रिका अपने आप में संपूर्ण है अतः किसी सुझाव / विचार की अपेक्षा नहीं रखती है। इसमें न केवल आपके द्वारा सम–सामयिक विषयों यथा महंगाई, स्वास्थ्य आदि पर लेख हैं अपितु आवास संबंधी बहुविषयक लेखों तथा विभिन्न वैचारिक लेखों को भी समाविष्ट किया गया है।

आशा है यह पत्रिका हमें अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,

राकेश कुमार सुन्दरियाल हिंदी अधिकारी

सेन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

नई दिल्ली

---

19 दिसंबर, 2011

प्रिय महोदय,

आवास भारती का जुलाई–सितंबर, 2011 का अंक प्राप्त हुआ। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पत्रिका के अधिकांश लेख संजोकर रखने लायक हैं। पत्रिका में आवास, वाणिज्य, विकास, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं धर्म व दर्शन जैसे विषयों पर अत्यंत उपयोगी सामग्री देने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित स्तंभ में भी अच्छी सामग्री दी गई है।

प्रति भेजने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के संपादक मंडल को बहुत–बहुत धन्यवाद।

भवदीय,

उप प्रबंधक (राजभाषा)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

---

20 दिसंबर, 2011

महोदय,

आपके बैंक की पत्रिका 'आवास भारती' का नवीनतम जुलाई–सितंबर 2011 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका में विभिन्न विषयों पर लेखों का संकलन, संपादक मंडल के सफलतम प्रयास का द्योतक है। साथ ही बैंक के विविध गतिविधियों की झलक सराहनीय है।

लेख 'किफायती आवास परिदृश्य' तथा 'प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय' अत्यंत ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक मंडल को बधाई तथा आगामी अंकों के लिए शुभकामनाओं सहित।

आपका हितैषी

परमजीत सिंह धावरी

मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नई दिल्ली

---

24 दिसंबर, 2011

महोदय,

मुझे आपकी पत्रिका ''आवास भारती'' का जुलाई–सितंबर, 2011 का अंक पढ़ने का अवसर मिला। संपादक महोदय जी के विचार इस आशा को बल देते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा को जल्द ही सभी जगह उसका उचित स्थान प्राप्त होगा। आपके लेखों और अन्य गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण लाजवाब है। पत्रिका का लेखन भाग तो अदभुत है ही साथ ही पत्रिका की डिजाइनिंग भी उम्दा है। राजभाषा अधिकारी जी का लेख 'एक गुमनाम हीरो' हमें अपने स्वतंत्रता इतिहास के उस हिस्से की याद दिलाता है जिसे हम भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह हमारे लिए शर्म की बात है। वरिष्ठ नागरिक, आवास, दर्शन, धर्म, स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों पर प्रकाशित सभी लेख अपने आप में अनूठे, पठनीय और सराहनीय हैं। 'युवा लोग मुख्य संसाधन' नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर लिखी गयी एक अत्यंत उपयोगी लेख है। अंत में मैं पत्रिका के बारे में बस यही कहना चाहूंगी कि यह बाजारू लुक को लिए हुए एक सैद्धांतिक पत्रिका है। इस कार्य के निष्पादन और इसे ऐसा बनाए रखने के लिए संपादक मंडल निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। आगामी अंको के लिए शुभकामनाओं सहित।

गौरव त्यागी

पत्रकार व समाजसेवी

एमआईजी फ्लैट, ईस्ट लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली

---

25 जनवरी, 2012

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका 'आवास भारती' जुलाई–सितम्बर 2011 का अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका का यह अंक भी सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक बन पड़ा है। पत्रिका में आवास, वाणिज्य, विकास, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं धर्म व दर्शन जैसे विषयों का चयन सराहनीय है। सामसायिक घटनाओं एवं राजनैतिक मूल्यों के क्षरण तथा बढ़ती कीमतों पर लेख एवं कहानी तथा देश की सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण पर चिंता अच्छे हैं।

आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका हमें नियमित रुप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,

विजय पाटनी

सहायक प्रबंधक (हिंदी)

दि हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स

कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

संपादकीय

एक बड़ी पुरानी कहावत है कि "जहां चाह– वहां राह"। इसका अंग्रेजी रूपांतर है– "देयर इज विल, देयर इज ए वे।" यदि हम इसे और स्पष्ट करें तो कह सकते हैं यदि इच्छा शक्ति होती है तो इंसान अपनी राह खोज लेता है या फिर एक राह बना लेता है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर बहुत सारे ऐसे लोग दिखे, जो अंग्रेजी के अलावा अपनी मातृभाषा फर्राटे से बोल रहे थे। इसमें पंजाबी, बंगाली, गुजराती एवं तमिल लोग सबसे आगे थे। वे दुनिया भर के तमाम देशों में पचास–सौ सालों से रह रहे हैं परंतु उन्होंने अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम जीवित रखा है। यहां तक की सभी लोग काम चलाऊ हिन्दी भी बोल रहे थे

मैं मूलतः मराठी भाषी हूं और लगभग 30 साल से बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हूं। मैंने सदैव अपने काम में हिंदी को प्राथमिकता दी और बेझिझक कार्यालयीन कार्यों को हिंदी में किया। इस संदर्भ में मैं पूर्व राष्ट्रपति डा० एपीजे अब्दुल कलाम के एक साक्षात्कार के अंश का जिक्र करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मातृभाषा तमिल में हुई, इसलिए वे शिक्षा को बेहतर ढंग से समझ सके और उसी के बल पर वे वैज्ञानिक बने और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। मैंने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ाया। हालांकि देश की व्यवस्था को देखते हुए एवं अपने अनुभव से निजी मत व्यक्त करना चाहता हूं कि बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए और अंग्रेजी को प्रारंभ से ही एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, न कि अंग्रेजी माध्यम में। जहां मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां प्रारंभ से ही बच्चों को हिंदी एवं अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने चाहिए।

जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जहां चाह है वहां राह है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मुझे हाल ही में बैंगलोर एवं मैंगलोर के दौरे पर मिला। वहां हर टैक्सीवाला, आटोवाला, यहां तक कि बस कंडेक्टर से जब मैंने अंग्रेजी में बात करनी चाही तो उनका प्रश्न होता– आप दिल्लीवाला, साब हिंदी चलेगा और वे अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी को प्राथमिकता दे रहे थे।

आज हालात यह है कि आजादी के 65 वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, उपक्रमों, प्रतिष्ठानों में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए राजभाषा विभाग या हिंदी प्रकोष्ठ खोलने पड़े हैं और इनके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार, विशेष इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। राजभाषा क्रियान्वयन के लिए बैठकें, सेमिनार एवं राजभाषा सम्मेलन करने पड़ते हैं। हम भारतीयों के लिए यह कितने शर्म की बात है कि हमें अपनी ही भाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहन राशि एवं पुरस्कार चाहिए। आज देश के उच्च एवं सर्वोच्च न्यायलय अपने फैसले अंग्रेजी में सुनाते हैं जबकि देश के नब्बे फीसदी लोग उसे समझते भी नहीं हैं।

यदि ध्यान से देखा जाए, तो हमें लगता है कि देश की अपनी राजभाषा एवं राजकाज की भाषा के लिए कोई भी गंभीर नहीं है। यदि गंभीर होते तो कदाचित आज यह स्थिति न होती। हमारे देश के हिंदी प्रदेश के नेतागण भी मंत्रिपद के शपथ ग्रहण में हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि इससे पूरे देश को क्या संदेश जाता है। यदि हमारे राजनीतिज्ञों को देश की चिंता होती तो भाषा विवाद का विकृत स्वरूप खड़ा करके जनता को भ्रमित नहीं किया जाता। हम एक तरफ तो पूरे विश्व को विविधता में एकता और धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश देते हुए खुद को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों सालों से समाज को जातिप्रथा एवं अस्पृश्यता के खेल में उलझाये हुए हैं। आजादी के पैंसठ सालों बाद भी इस जंजीर को तोड़ने की बजाय और सुदृढ़ बना रहे हैं। आज प्रजातंत्र के नाम पर होने वाले चुनाव केवल और केवल जातीयता के आधार पर केन्द्रित होकर एक नये जातितंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मानवता तार–तार एवं शर्मसार है फिर भी हमें शर्म नहीं आती।

आज जातीयता का प्रभाव इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि जिस डा. भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान को तैयार किया और भारतीय गणतंत्र को एक अलग पहचान दिलाई, उसी महापुरुष को एक खास वर्ग का नेता बनाकर उसके व्यक्तित्व को सीमित किया जा रहा है। क्या उस व्यक्ति ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़कर और उचित सम्मान दिलाने का प्रयास करके कोई पाप कर्म किया है?

एक तरफ अंग्रेजों ने जहां मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए भारतीय भाषा एवं संस्कृति को नष्ट करने का काम किया था, वहीं आजादी के बाद तथाकथित भारतीय काले अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हिंगलिश को जन्म दे डाला। हमने अब तक इतिहास से सबक क्यों नहीं सीखा? क्या हम सचमुच अज्ञानी हैं या फिर मूर्ख, या फिर सत्ता सुख से स्वार्थी हो गए हैं ? ताकि सत्ता एवं समृद्धि की गाड़ी पर कोई आम आदमी न चढ़ सके। हम सबको तुरंत इसकी चिंता करनी चाहिए। हिन्दी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रलोभन एवं झूठी पदोन्नति जैसे सरकारी प्रयास बेकार हैं। हमें अपने संविधान में घोषित देवनागरी लिपि वाली हिंदी को स्वदेश प्रेम के साथ तन मन व धन से अपनाना चाहिए। बस हमें एक प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है। आदरणीय लोहियाजी ने भी कहा था "अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा।"

(जी.एन. सोमदेवे)
संपादक व सहायक महाप्रबंधक
मो. 9560900451

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 11, अंक 41, अक्तूबर–दिसम्बर 2011

प्रधान संरक्षक

राज विकास वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संयुक्त संरक्षक

अर्णव रॉय, कार्यपालक निदेशक

संरक्षक

एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक

संपादक

जी.एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक

अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक

किशोर कुंभारे, क्षेत्रीय प्रबंधक

मोहित कौल, प्रबंधक

के.जगन मोहन राव, प्रबंधक

राधिका राठी, उप प्रबंधक

रुचि वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक

प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर 5–ए, 3–5 तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
1.	बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश	1
2.	आपकी पाती	2
3.	संपादकीय	3
4.	विषय सूची	4
5.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	5
6.	मकान किराये पर लेना, मकान खरीदने से ज्यादा फायदेमंद	9
7.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा छोटे फ्लैटों के निर्माण	11
8.	भारत–उदय	12
9.	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्रम	14
10.	किराया आवास– आज की जरूरत	18
11.	बुरे काम का बुरा नतीजा	20
12.	राष्ट्र भाषा का महत्व और उसकी उपलब्धि	23
13.	रक्तचाप	25
14.	मोबाईल: सुविधा या असुविधा	27
15.	आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा रहस्य	29
16.	यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक का दायरा	32
17.	'आगाज'	34
18.	डॉ0 बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक चेतना के महान प्रवर्तक	35
19.	काव्य सुधा	39

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

संगोष्ठियां

18 अक्तूबर, 2011 को जयपुर में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने हेल्पेज इंडिया की साझेदारी से 18 अक्तूबर, 2011 को जयपुर में रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में जयपुर की विभिन्न आवास कल्याण समितियों के 50 से अधिक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए।

संगोष्ठी में डॉ. हरविंदर सिंह बख्शी, राष्ट्रीय निदेशक (ऐडवोकेसी), हेल्पेज इंडिया, श्री पी.डी.द्विवेदी, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्था, प्रताप नगर, जयपुर; श्री सी.एस. भार्गव, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्था मानसरोवर, जयपुर; श्री शरद कटियार, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्था, सिविल लाइन्स, जयपुर; श्री के.के. राजामोहन, प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली; श्री निलेश जी. नालव्या, राज्य प्रमुख, राजस्थान, हैल्पेज इंडिया भी उपस्थित थे। श्री बी. प्रभु, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक ने रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिक उत्पाद पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

30 नवम्बर, 2011 को हैदराबाद में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर संगोष्ठी

हेल्पेज इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय आवास बैंक ने 30 नवंबर, 2011 को हैदराबाद में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया।

इस संगोष्ठी में हेल्पेज इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक (एडवोकेसी), डा. हरविंदर सिंह बख्शी; राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्यालय नई दिल्ली से श्री के.के. राजामोहन तथा राज्य हेल्पेज इंडिया के श्री एस.दास तथा डॉ. राव चेलिकनी, मानद अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश सीनियर सिटीजन आर्गेनाइजेशन तथा श्री परमेश्वर रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश सीनियर सिटीजन कनफेडरेशन ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक प्रबंधक श्री बी.प्रभु ने रिवर्स मॉर्टगेज ऋण समर्थित वार्षिकी उत्पाद पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

21 दिसंबर, 2011 को गाजियाबाद में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर संगोष्ठी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने हेल्पेज इंडिया के सहयोग से 21 दिसंबर, 2011 को गाजियाबाद में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में 50 से अधिक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए।

इस संगोष्ठी में डॉ. हरविंदर सिंह बख्शी, राष्ट्रीय निदेशक (ऐडवोकेसी), हेल्पेज इंडिया; श्री जे.आर. गुप्ता, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक परिषद; श्री के.के. राजामोहन, प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास कल्याणकारी संघों के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। श्री बी.प्रभु, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक ने रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

28 दिसंबर, 2011 को लखनऊ में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर संगोष्ठी

हेल्पेज इंडिया के सहयोग से 28 दिसंबर, 2011 को जयशंकर प्रसाद ऑडिटोरियम, लखनऊ में रिवर्स मॉर्टगेज ऋण सामर्थ्यकारी वार्षिकी उत्पाद पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में क्षेत्र के विभिन्न आवास कल्याण संघों से लगभग 50 वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए।

इस संगोष्ठी में डॉ. हरविंदर सिंह बख्शी, राष्ट्रीय निदेशक (ऐडवोकेसी), हेल्पेज इंडिया; श्री ए.के. सिंह, राज्य प्रमुख– हेल्पेज इंडिया; श्री एस.एच.पी रिजवी, क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ प्रतिनिधि कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा श्री बी. प्रभु, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली शामिल थे। श्री बी.प्रभु ने रिवर्स मॉर्टगेज ऋण पर और श्री रिजवी ने रा.आ.बैंक की संवर्धनात्मक भूमिका तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के क्रियाकलापों की जानकारी दी।

प्रशिक्षण

14 अक्तूबर, 2011 को उत्तराखंड के देहरादून में ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण

दिनांक 14 अक्तूबर, 2011 को उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में ग्रामीण आवास वित्त विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया, इस अवसर पर इन प्रतिभागियों को ग्रामीण आवास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण आवास वित्त, आवास वित्त पर योजनाएं, राष्ट्रीय आवास बैंक की ग्रामीण आवास वित्त में भूमिका, ग्रामीण आवास ऋणों का मूल्यांकन, संवितरण, अनुपालन एवं वसूली आदि मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आत्माराम मुदियम, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं उ.प्र. के प्रतिनिधि कार्यालय प्रभारी श्री एस.एच.पी. रिजवी तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री एन.डी. डुडेजा ने प्रतिभागियों को कथोक्त विषयों पर संबोधित किया।

20 एवं 21 अक्तूबर, 2011 को जयपुर, राजस्थान में मकानों के लिए बंधक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 20 एवं 21 अक्तूबर, 2011 को आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहां उन्हें रा.आ.बैंक के द्वारा निभाई जाने वाली पर्यवेक्षण एवं विनियमन की भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ, आवास ऋण के मूल्यांकन, जोखिमों, संवितरण, अनुपालन, वसूली एवं ऋण बाजार के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा शीर्षस्थ बैंकिंग संस्थान के रूप में रा.आ.बैंक की भूमिका एवं महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर रा.आ.बैंक की ओर से उप महाप्रबंधक श्री वी राजन तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री आत्माराम मुदियम; भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टाफ कालेज के उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री आर.गणेश, और यहीं के पूर्व सहा.महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री एल राजन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री वैभव चतुर्वेदी ने प्रतिभागियों को भिन्न–भिन्न मुद्दों पर संबोधित किया।

16 दिसंबर, 2011 को पटना, बिहार में ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

16 दिसंबर, 2011 को पटना, बिहार में ग्रामीण आवास वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र को रा.आ. बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी.वर्मा ने उद्घाटित किया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण आवास वित्त संस्थानों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिकाओं एवं कार्यकलापों पर प्रकाश डाला गया तथा ग्रामीण आवास वित्त से जुड़ी योजनाओं, ब्याज अनुदान सहायता (ईशप) योजना तथा इन्हें प्राप्त करने की तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं प्रयोजनों की सत्रानुसार जानकारी दी गई। इस अवसर पर रा.आ. बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील रसानिया, प्रबंधक श्री विजय कुमार तथा स्टेट बैंक अकादमी के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य प्रशिक्षकों के रूप में उपस्थित थे।

22 व 23 दिसंबर 2011 को बैंगलूरू में आवास वित्त में धोखाधड़ी निवारण पर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक के तत्वावधान में दिनांक 22 व 23 दिसंबर 2011 को बैंगलूरू में आवास वित्त में धोखाधड़ी की रोकथाम व निवारण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों के 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रा.आ.बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कथोक्त विषय पर निभाई जा रही भूमिकाओं का ब्यौरा दिया गया और इसके साथ ही आवास ऋण, आवास ऋण में समाहित जोखिमों एवं उनसे बचाव, कालाधन एवं धोखाधड़ी, मॉर्टगेज तथा कुछ केस स्टडीज पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में रा.आ.बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर.एस.गर्ग; क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आत्माराम मुदियम; भा.रि.बैंक स्टाफ कालेज से संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक श्री ब्रज राज; भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज से संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश राममूर्ति, आंध्रा बैंक के उप महाप्रबंधक (विधि) श्री पी.के. गोस्वामी तथा सीडीआईएमएस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री चेतन दलाल संकाय सदस्यों के रूप में उपस्थित हुए।

(उपरोक्त समस्त प्रशिक्षण कार्यों का सफल आयोजन राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक प्रबंधक श्री परिचय हैं, जिन्होंने सभी कार्यक्रमों के लिए प्रशासकीय एवं संभारतंत्र को सफलतापूर्वक आयोजित किया)

सम्मेलन

रा.आ. बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक ने एशिया पेसीफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर 29 जनवरी से 01 फरवरी, 2012 तक होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन का विषय "किफायती आवास बाजार में स्थिरता के साथ वृद्धि" है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों के वृहद क्षेत्र पर विचार –विमर्श होगा जिसका मोर्टगेज उद्योग ने पिछले दिनों में सामना किया है। इनमें चर्चा के ये मुद्दे भी शामिल हैं–

1. उभरते बाजारों में वहनीयता के मुद्दे
2. किफायती आम आवास
3. आपूर्ति की ओर वृद्धि और स्थायित्व पर इसका प्रभाव
4. आवास आपूर्ति में सार्वजनिक और निजी भागीदारी प्रारूप
5. खुदरा आवास बाजार में प्रवृत्तियां और विकास
6. अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणकर्ताओं हेतु आवासीय समाधान
7. विविध मॉर्टगेज बाजारों में तुलनात्मक मॉडल
8. विनियामक मुद्दे
9. आवास वित्त बाजार आदि के क्रमानुसार वृद्धि हेतु अनुसंधान, डाटा विश्लेषण की जरूरत

इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जो आवास और आवास वित्त के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं, शामिल होगें।

कार्यशाला

दिनांक 2 दिसंबर, 2011 को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना पर कार्यशाला

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा रांची, झारखंड में दिनांक 2 दिसंबर, 2011 को शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी (अनुदान) पर एक कार्यशाला (विचार–गोष्ठी) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य के वरिष्ठ बैंकरों के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड राज्य की ओर से श्री के.के. सिन्हा, ओएसडी (सांस्थानिक वित्त) द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक के उप महाप्रबंधक श्री ललित कुमार; हडको के क्षेत्रीय प्रमुख श्री आर घोष; हडको की उप महाप्रबंधक सुश्री एस घोष; झारखंड के बैंकर्स तथा स्थानीय शहरी निकायों के 30 सदस्य; जीआरडीए के अधिकारीगण एवं झारखंड राज्य के शहरी विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। रा.आ.बैंक के पटना प्रतिनिधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री विजय कुमार ने शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यशाला में प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब रा.आ.बैंक के उप महाप्रबंधक श्री ललित कुमार तथा झारखंड राज्य के ओएसडी (सांस्थानिक वित्त) श्री के.के. सिन्हा ने प्रदान किया।

पुरस्कार

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा का कार्यान्वयन समिति के द्वारा आवास भारती को प्रथम पुरस्कार की प्राप्ति

23 दिसंबर, 2011 को दिल्ली बैंक नराकास की 35वीं बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका–आवास भारती को वर्ष 2011 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बैंक की ओर से सहायक महाप्रबंधक, श्री जी.एन.सोमदेवे तथा राजभाषा अधिकारी, डॉ. अमर सिंह सचान ने बैठक में प्रतिनिधित्व करते हुए पुरस्कार ग्रहण किया।

मकान किराये पर लेना, मकान खरीदने से ज्यादा फायदेमंद

– संजीव कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक

रामपुर के दीपक चौधरी को जब दिल्ली में नई नौकरी मिली तो सबसे पहले उन्होंने वहां नए मकान की तलाश शुरू की। उनकी मासिक तनख्वाह 50,000/– रुपये से कुछ अधिक थी और अगर वह 10 लाख रु. अपने पास से लगाकर मकान खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का कर्ज लेते हैं तो उनकी समानुपातिक मासिक किस्त (ईएमआई) तकरीबन 29,000 रुपए बनती। मकान खरीदने के लिए उनका बजट 35 लाख रुपये था, मगर जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतों में आग लगी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इतने बजट के साथ वह दिल्ली के आसपास नोएडा या ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद गाजियाबाद, रोहतक या पानीपत जैसे किसी इलाके में ही मकान खरीद पाएंगे।

हालांकि रोजाना दफ्तर आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दीपक ने मकान खरीदने के बजाय किराये पर मकान लेने का फैसला किया। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "एनसीआर के इलाकों में मकान खरीदने का मतलब है रोजाना कई घंटों का सफर कर ऑफिस पहुंचना। इस कारण से मैंने दक्षिण दिल्ली की एक कालोनी में अपने ऑफिस के नजदीक मकान किराये पर लेना बेहतर समझा।" उन्होंने 30,000 रुपये किराये पर एक मकान ले लिया। यदि देखा जाए तो यह उस पूंजी का ब्याज भर है जो दीपक जी मकान खरीदने में लगाते। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि उनके वेतन का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मकान के भाड़े में जा रहा है। दिल्ली–मुंबई जैसे महानगरों में इतना भाड़ा देकर रहने वाले एक सदस्य की कमाई के हिसाब से घाटे का सौदा है, यदि इसी में पति–पत्नी नौकरी वाले हों, तो कुछ हद तक यह सौदा लाभ का सिद्ध हो सकता है।

जब खरीदना हो मकान : सालों से लोगों की सोच यही रही है कि अपना निजी मकान हो। वे किराये पर मकान लेने के बजाय मकान खरीदना अपनी प्राथमिकता मानते हैं। हालांकि आज की तारीख में प्रॉपर्टी के भाव जिस हिसाब से आसमान छू रहे हैं उसे देखकर तो किराये पर मकान लेना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। एक अध्ययन के अनुसार हाल ही के वर्षों में लगभग सभी महानगरों में जितने मकान किराया के सौदे हुए हैं वे पिछले सालों के मुकाबले 50 फीसदी अधिक है।

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दरों में बढ़ोत्तरी पर लगाम लगाने के संकेत दिए है और 2011 में मुंबई, दिल्ली व एनसीआर, बैंगलूरू और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी कीमतें 10 फीसदी तक घटी है। तो क्या इस मौके का लाभ उठाकर मकान की खरीददारी करना सही रहेगा।

पिछले 18 महीनों में आवासीय ऋण पर ब्याज दरें औसतन 9 फीसदी से बढ़कर 11.5 फीसदी तक पहुंच गई हैं. हालांकि इसके बाद भी पूंजी का मूल्य बढ़ने से मकान खरीदने की सलाह दी जा सकती है। अगर कोई फिलहाल ऊंची ब्याज दरों पर भी आवासीय ऋण ले लेता है तो भी इस कर्ज की मियाद आमतौर पर 15 से 20 साल की होती है और इस अवधि में ऐसे चक्र जरूर आएंगे जब ब्याज दरें नीची होंगी।

आवासीय सेवाओं के साथ जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में ही ब्याज दरों के ऐसे निचले चक्र की उम्मीद की जा सकती है। आज के दौर में महंगे होते ऋणों के चलते कमजोर मांग की वजह से डेवलपर 15 से 20 फीसदी की छूट देने को तैयार हैं, बशर्ते एकमुश्त मकान की बड़ी रकम का भुगतान किया जा रहा हो। पर जैसे ही ब्याज दरें नीची होना शुरू होंगी तो मांग में एक बार फिर से तेजी आने लगेगी और प्रॉपर्टी के दाम फिर से चढ़ने लगेंगे।

मगर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आमतौर पर कोई ग्राहक संपत्ति मूल्य का अधिकतम 80 फीसदी तक कर्ज ले सकता है। बाकी 20 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान अपनी जेब से करना होगा। आमतौर पर बैंक किसी की तनख्वाह का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा ईएमआई के तौर पर नहीं रखते, पर अगर आपने फ्लोटिंग दर पर कर्ज लिया है तो यह अनुपात घट–बढ़ सकता है।

अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो श्री दीपक चौधरी को अपने लगभग 50,000/– रु. के वेतन पर लगभग 18–20 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त हो सकता है, जो उनके 35 लाख के घर पर उन्हें 25 लाख की बजाए केवल 18–20 लाख ही ऋण मिल पाएगा। उन्हें अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए 5–7 लाख रु. और अधिक यानि कुल 15–17 लाख रुपये जुटाने होंगे। इसे जुटाने में दो–तीन साल गुजर सकते हैं, शायद तब तक यह 35 लाख का घर लगभग 50 लाख की सीमा पर पहुंच जाएगा। ऐसे में घर

रामपुर के दीपक चौधरी को जब दिल्ली में नई नौकरी मिली तो सबसे पहले उन्होंने वहां नए मकान की तलाश शुरू की। उनकी मासिक तनख्वाह 50,000/– रुपये से कुछ अधिक थी और अगर वह 10 लाख रु. अपने पास से लगाकर मकान खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का कर्ज लेते हैं तो उनकी समानुपातिक मासिक किस्त (ईएमआई) तकरीबन 29,000 रुपए बनती। मकान खरीदने के लिए उनका बजट 35 लाख रुपये था, मगर जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतों में आग लगी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इतने बजट के साथ वह दिल्ली के आसपास नोएडा या ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद गाजियाबाद, रोहतक या पानीपत जैसे किसी इलाके में ही मकान खरीद पाएंगे।

हालांकि रोजाना दफ्तर आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दीपक ने मकान खरीदने के बजाय किराये पर मकान लेने का फैसला किया। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "एनसीआर के इलाकों में मकान खरीदने का मतलब है रोजाना कई घंटों का सफर कर ऑफिस पहुंचना। इस कारण से मैंने दक्षिण दिल्ली की एक कालोनी में अपने ऑफिस के नजदीक मकान किराये पर लेना बेहतर समझा।" उन्होंने 30,000 रुपये किराये पर एक मकान ले लिया। यदि देखा जाए तो यह उस पूंजी का ब्याज भर है जो दीपक जी मकान खरीदने में लगाते। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि उनके वेतन का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मकान के भाड़े में जा रहा है। दिल्ली–मुंबई जैसे महानगरों में इतना भाड़ा देकर रहने वाले एक सदस्य की कमाई के हिसाब से घाटे का सौदा है, यदि इसी में पति–पत्नी नौकरी वाले हों, तो कुछ हद तक यह सौदा लाभ का सिद्ध हो सकता है।

जब खरीदना हो मकान : सालों से लोगों की सोच यही रही है कि अपना निजी मकान हो। वे किराये पर मकान लेने के बजाय मकान खरीदना अपनी प्राथमिकता मानते हैं। हालांकि आज की तारीख में प्रॉपर्टी के भाव जिस हिसाब से आसमान छू रहे हैं उसे देखकर तो किराये पर मकान लेना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। एक अध्ययन के अनुसार हाल ही के वर्षों में लगभग सभी महानगरों में जितने मकान किराया के सौदे हुए हैं वे पिछले सालों के मुकाबले 50 फीसदी अधिक हैं।

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दरों में बढ़ोत्तरी पर लगाम लगाने के संकेत दिए हैं और 2011 में मुंबई, दिल्ली व एनसीआर, बैंगलूरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी कीमतें 10 फीसदी तक घटी हैं। तो क्या इस मौके का लाभ उठाकर मकान की खरीददारी करना सही रहेगा।

पिछले 18 महीनों में आवासीय ऋण पर ब्याज दरें औसतन 9 फीसदी से बढ़कर 11.5 फीसदी तक पहुंच गई हैं, हालांकि इसके बाद भी पूंजी का मूल्य बढ़ने से मकान खरीदने की सलाह दी जा सकती है। अगर कोई फिलहाल ऊंची ब्याज दरों पर भी आवासीय ऋण ले लेता है तो भी इस कर्ज की मियाद आमतौर पर 15 से 20 साल की होती है और इस अवधि में ऐसे चक्र जरूर आएंगे जब ब्याज दरें नीची होंगी।

आवासीय सेवाओं के साथ जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में ही ब्याज दरों के ऐसे निचले चक्र की उम्मीद की जा सकती है। आज के दौर में महंगे होते ऋणों के चलते कमजोर मांग की वजह से डेवलपर 15 से 20 फीसदी की छूट देने को तैयार हैं, बशर्ते एकमुश्त मकान की बड़ी रकम का भुगतान किया जा रहा हो। पर जैसे ही ब्याज दरें नीची होना शुरू होंगी तो मांग में एक बार फिर से तेजी आने लगेगी और प्रॉपर्टी के दाम फिर से चढ़ने लगेंगे।

मगर यह कहना जितना आसान है, करना उतना की मुश्किल। आमतौर पर कोई ग्राहक संपत्ति मूल्य का अधिकतम 80 फीसदी तक कर्ज ले सकता है। बाकी 20 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान अपनी जेब से करना होगा। आमतौर पर बैंक किसी की तनख्वाह का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा ईएमआई के तौर पर नहीं रखते, पर अगर आपने फ्लोटिंग दर पर कर्ज लिया है तो यह अनुपात घट–बढ़ सकता है।

अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो श्री दीपक चौधरी को अपने लगभग 50,000/– रु. के वेतन पर लगभग 18–20 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त हो सकता है, जो उनके 35 लाख के घर पर उन्हें 25 लाख की बजाए केवल 18–20 लाख ही ऋण मिल पाएगा। उन्हें अपने सपनों के घर को खरीदने

महाराष्ट्र सरकार द्वारा छोटे फ्लैटों के निर्माण हेतु विकास नियंत्रण (डीसी) नियमों में परिर्वतन

प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

बड़ी योजनाओं में छोटे आकार के 20 प्रतिशत फ्लैटों का निर्माण अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में महानगरपालिका के सभी क्षेत्रों में नए निर्माण के लिए भवननिर्माताओं और विकासकों को बड़ी योजनाओं में छोटे आकार के 20 प्रतिशत फ्लैट बनाने हेतु विकास नियंत्रण में कुछ निश्चित परिवर्तन किये हैं। सरकार ने दावा किया है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मंहगी निर्माण परियोजना में फ्लैट खरीदने की सुविधा मिलेगी।

राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दिसम्बर में मुंबई में हुई मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद यह घोषणा की थी। मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी मुंबई और पुणे जैसे शहरों के मंहगे रिहायशी इलाकों में मकान खरीदने के अवसर मिल सकें।

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि कोई भी निर्माण योजना जो 2,000 वर्ग मीटर या उससे बड़े आकार के प्लॉट पर चल रही है तो उसे विकास नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों के अनुसार 20 प्रतिशत क्षेत्र में 27.8 वर्ग मीटर से लेकर 45 वर्ग मीटर (लगभग 300से 500 वर्ग फुट) के आकार वाले फ्लैटों का निर्माण करना आवश्यक होगा। हालांकि फ्लैटों के कीमत की कोई सीमा नहीं होगी और दरों का निर्धारण भी बाजार की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा।

भू–संपदा के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले श्री सुनील मंत्री ने कहा कि " यह प्रस्ताव कई तरह से अव्यवहारिक रहेगा....यह योजना छोटे आकार के प्लॉटों के अनुकूल नहीं होगी। इसे 10 एकड़ या उससे अधिक के प्लॉट पर लागू किया जाना चाहिए।"

इसी तरह का एक परिवर्तन 2009 में विकास नियंत्रण में किया गया था, लेकिन उसे मुंबई–आधारित कई विकासकों ने कोर्ट में चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बार राज्य विभिन्न वर्गों से सुझावों और आपत्तियों के बारे में पूछेगा और राज्य एजेंसी महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को फ्लैटों के आबंटन के क्रियान्वयन का निर्देश प्रदान करेगा। राज्य सरकार के द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार यह आबंटन एक लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राज्य इन नियमों को तत्काल लागू करेगा जबकि कुछ सरकारी स्रोतों के अनुसार शायद इसे कोर्ट में पुनः चुनौती दिये जाने की संभावना है। प्रस्तावित योजना को बहुत से रिएलिटी विकासकों एवं बिल्डरों का विरोधी रूख झेलना पड़ सकता है; क्योंकि शायद उनके लिए इस मामले में निम्न आय समूह आवास को विलासिता/मंहगी परियोजना से ही नहीं; बल्कि मध्यम आवासीय योजना के साथ जोड़ना भी व्यावसायिक रूप से संभव नहीं हो पाएगा।

विकासकों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर खरीददार शायद इन परियोजनाओं के उच्च रख–रखाव को वहन नहीं कर सकते जिससे आमतौर पर विलासितापूर्ण अपार्टमेंट के खरीददारों को सुख–सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत, इस परियोजना के चलते पहले से बसे किरायेदारों को निम्न आय समूह के साथ रहने के लिए मनाना भी कठिन होगा। उन्होंने बताया " प्रत्येक विकासक एलआईजी आवास की इस तरह की योजना की बजाए सेवा प्रदान करने वालों के रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर देता है।" यद्यपि कुछ विकासक राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत भी कर रहे हैं। वे इस तरह के अन्य कदमों की अपेक्षा रखते हैं ताकि आवासीय किल्लत को सूचकांक से कम किया जा सके।

भू–संपदा क्षेत्र से जुड़े श्री निरंजन हीरानंदनी ने कहा "मैं सोचता हूं कि यह एक अच्छा उपाय है, परंतु असली मुद्दा यह है कि समाज के सभी वर्गों में आवास आपूर्ति को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। यहां तक कि यदि हम वर्तमान और आगामी परियोजनाओं में 10 से 20 प्रतिशत आरक्षण रखते हैं तब भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास की बहुत कम आपूर्ति हो पाएगी।"

हाल ही में इस मामले में भूसंपदा क्षेत्र से जुड़े कुछ व्यावसायिकों का मानना है कि सरकार का यह कदम गरीब वर्ग के लिए आकर्षक तो है, पर व्यावहारिक नहीं है। उनका मानना है कि इन फ्लैटों की कीमत इतनी अधिक होगी कि मुंबई की आवासीय कालोनियों में सेवाएं देने वाला वर्ग– जैसे कि घर की सफाई/कामवाली बाई, कार के ड्राइवर, नाई एवं धोबी का काम करने वाले इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इनके पास न तो कोई स्थाई आय का स्रोत होता है और न ही बैंकों को मार्टगेज करने या गारंटी देने वाली कोई संपदा होती है। यदि कुछ हो तो बैंक 8–10 लाख रूपये का ऋण देने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे।

अपना नाम न जाहिर करते हुए, एक प्रतिष्ठित बैंक के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि इससे बढ़िया तो यह है कि सरकार इन भूखंडों में एक निश्चित

प्रतिशत के भूभाग पर कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए फ्लैट बनाना सुनिश्चित करें और यह फ्लैट मुख्य भूखंड से बिल्कुल अलग एवं अलग निकासी वाले हों। उनकी दखलंदाजी बड़े फ्लैटों के इलाके में न हो। इन कमजोर वर्ग के फ्लैटों के निर्माण की कीमत बड़े फ्लैटों के खरीददारों पर डाली जाए और कमजोर वर्ग के फ्लैटों की कीमत बहुत ही किफायती रखी जाए, ताकि यह फ्लैट सही सेवादाता कमजोर वर्ग को ही मिलें। यदि एक ही बाउंड्री के भीतर दोनों तरह के फ्लैट बनाए जाएंगे तो बड़े फ्लैटों के खरीददार नहीं मिलेंगे।

मंत्रिमंडल ने पृथक विकासों के अंतर्गत स्लम निवासियों की पात्रता के संबंध में पुनर्वास अथवा पुनर्विकास योजनाओं के लिये विकास नियंत्रण में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन किया। इससे पहले कोई स्लम में रहने वाले, 1 जनवरी 1995 से पहले बनी स्लम बस्ती में ही रह सकता था, पर अब नए नियम के अनुसार, बेशक कोई स्लम बस्ती जो 1 जनवरी 1995 से पहले की बनी हो, कोई निवासी जो अपेक्षाकृत अभी–अभी आया हो, इस क्षेत्र में एक अधिभोगी हो सकता है। इससे लाखों स्लम आवासी जो 1 जनवरी 1995 के बाद मुंबई आए हैं, पुर्नवास के योग्य बन पाएंगे।

भारत-उदय

अशोक कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक

हमारे देश भारत का एक प्राचीनतम एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जो इतिहास के पन्नों पर भले ही अपनी प्रमाणिकता न सिद्ध कर सके, लेकिन इस देश के जन–जन के मन एवं संस्कृति व सभ्यता में समाया हुआ है। कुछ तथाकथित इतिहासकार भले ही इन पुरातन बातों को कवि एवं कल्पना की उड़ान मान लें पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जन–जन के मन एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वही चीजें जड़ें जमा पाती हैं जो हमारे जीवन एवं लोक जीवन में घटती हैं। भारतीय संस्कृति–सभ्यता एवं पौराणिक ग्रंथों में समाये राम, कृष्ण आदि चरित्र उतने ही सच हैं जितने कि गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बादशाह अकबर और मुगलिया सल्तनत या फिर वारेन हेस्टिंगज और क्लाइव लॉयड।

लेकिन इन सब इतिहासों के बावजूद लगभग 1000 वर्षों तक देश की गुलामी एवं अदूरदर्शी शासकों के कारण बार–बार होने वाले विदेशी आक्रमण एवं परस्पर सत्ता के संघर्षों ने देश को लगातार पतन की ओर धकेला, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय उद्योग एवं कौशल एवं शिल्प समाप्त होते चले गए और रही–सही कसर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से प्रवेश करने वाले अंग्रेजों ने पूरी कर दी। उन्होंने भारत से कच्चा माल प्राप्त किया और इंग्लैंड में जाकर उत्पाद तैयार किए और पुनः भारत जैसे अविकसित एवं परतंत्र राष्ट्रों में बेचा। देशी शिल्पकारों, कारीगरों को पर्याप्त खरीददार न मिलने एवं राजकीय प्रोत्साहन के अभाव में अपने परंपरागत काम धंधों को बंद करना पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय हस्तशिल्प एवं दस्तकारियां विनष्ट हो गई। आज से सौ–डेढ़ सौ साल पहले तक ढाका में बनने वाला मल–मल अरब राष्ट्रों सहित पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। कहते हैं एक अंगूठी के छल्ले से पूरा थान (20 गज) निकल जाता था। यहां तक कि आज भी बनारसी रेशमी साड़ियों का उद्योग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

आजादी के 65 वर्षों में देश ने पुनः करवट बदली, प्रगति की दिशा पकड़ी लेकिन उस रफ्तार से नहीं, जितनी अपेक्षित थी, या जितना स्कोप था। लेकिन कुल मिलाकर पिछले 20–25 सालों में संचार एवं कंप्यूटर क्रांति ने पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई और तब से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा व लगातार बढ़ रहा है। भारत में कुशल युवा श्रमशक्ति की भारी उपस्थिति ने आने वाले दिनों में इसके लिए सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं और लगातार खोल रही है।

भारत उम्मीदों और संभावनाओं का देश है। यहां चाहे जितनी आपदा आ जाए, लोग फिर से नई उम्मीदों के साथ उठ खड़े होते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि आने वाले सालों में देश को क्या हासिल होने वाला है तो मैं कहूंगा कि आने वाला वक्त भारत का है। पिछले दिनों दिल्ली में पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था। मीडिया में यह सम्मेलन दलाई लामा की मौजूदगी पर भारत–चीन में हुई तकरार के नीचे दबकर रह गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के 46 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सभी देश भारत को बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में देखते हैं और इसके संरक्षण एवं प्रसार में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद भारत से करते हैं। यदि भारत इन देशों को नेतृत्व देने में सफल हो जाता है तो न सिर्फ एक–चौथाई दुनिया पर उसकी सहज लीडरशिप स्थापित हो जाएगी; बल्कि देश को पर्यटन के रूप में विदेशी मुद्रा और रोजगार का भारी खजाना भी मिलेगा। इन देशों में उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा तथा भारी उद्योगों, सैन्य उत्पादों के निर्माण आदि में भारत एक महती भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। वर्तमान प्रधानमंत्री की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' इस दिशा में एक सार्थक पहल है। हम भारतीयों को आशावादी रहते हुए कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना ही होगा।

राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति

इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये युवा मेहनती, रचनात्मक, जोशीले और साहसी हैं। खेल, राजनीति, बिजनेस, जॉब सभी क्षेत्रों में वे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मेहनत का लोहा दुनिया मान रही है। आने वाला वक्त इन्हीं युवाओं का रहने वाला है। इन्हें अपने सपने पूरे करने के साथ–साथ शक्तिशाली भारत के निर्माण में भी जुटना होगा, फिर चाहे वे देश में निवास कर रहे युवा हों या फिर बाहर बसे अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)। सबके ऊपर देश के नवनिर्माण की भारी जिम्मेदारी है। हमें यह बात गांठ बांधनी होगी कि जब देश शक्तिशाली बनता है तो न केवल दुनिया भर में उस देश की कद्र बढ़ती है बल्कि उसके निवासियों का रुतबा भी बढ़ जाता है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखकर अगले संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा।

सुरक्षा परिषद में दावा

दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान पूर्वी एशिया के देश और एशिया–पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय मूल के बाहुल्य वाले फिजी, त्रिनिदाद टुबैगो, सिंगापुर, तथा मॉरीशस जैसे छोटे–छोटे देश भी अब लीडरशिप के

हमारे देश भारत का एक प्राचीनतम एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जो इतिहास के पन्नों पर भले ही अपनी प्रमाणिकता न सिद्ध कर सके, लेकिन इस देश के जन-जन के मन एवं संस्कृति व सभ्यता में समाया हुआ है। कुछ तथाकथित इतिहासकार भले ही इन पुरातन बातों को कवि एवं कल्पना की उड़ान मान लें पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जन-जन के मन एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वही चीजें जड़ें जमा पाती हैं जो हमारे जीवन एवं लोक जीवन में घटती हैं। भारतीय संस्कृति-सभ्यता एवं पौराणिक ग्रंथों में समाये राम, कृष्ण आदि चरित्र उतने ही सच हैं जितने कि गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बादशाह अकबर और मुगलिया सल्तनत या फिर वारेन हेस्टिंग्स और क्लाइव लॉयड।

लेकिन इन सब इतिहासों के बावजूद लगभग 1000 वर्षों तक देश की गुलामी एवं अदूरदर्शी शासकों के कारण बार-बार होने वाले विदेशी आक्रमण एवं परस्पर सत्ता के संघर्षों ने देश को लगातार पतन की ओर धकेला, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय उद्योग एवं कौशल एवं शिल्प समाप्त होते चले गए और रही-सही कसर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से प्रवेश करने वाले अंग्रेजों ने पूरी कर दी। उन्होंने भारत से कच्चा माल प्राप्त किया और इंग्लैंड में जाकर उत्पाद तैयार किए और पुनः भारत जैसे अविकसित एवं परतंत्र राष्ट्रों में बेचा। देशी शिल्पकारों, कारीगरों को पर्याप्त खरीददार न मिलने एवं राजकीय प्रोत्साहन के अभाव में अपने परम्परागत काम धंधों को बंद करना पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय हस्तशिल्प एवं दस्तकारियां विनष्ट हो गईं। आज से सौ-डेढ़ सौ साल पहले तक ढाका में बनने वाला मल-मल अरब राष्ट्रों सहित पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। कहते हैं एक अंगूठी के छल्ले में पूरा थान (20 गज) निकल जाता था। यहां तक कि आज भी बनारसी रेशमी साड़ियों का उद्योग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

आजादी के 65 वर्षों में देश ने पुनः करवट बदली, प्रगति की दिशा पकड़ी लेकिन उस रफ्तार से नहीं, जितनी अपेक्षित थी, या जितना स्कोप था। लेकिन कुल मिलाकर पिछले 20-25 सालों में संचार एवं कम्प्यूटर क्रांति ने पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई और तब से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा व लगातार बढ़ रहा है। भारत में कुशल युवा श्रमशक्ति की भारी उपस्थिति ने आने वाले दिनों में इसके लिए सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं और लगातार खोल रही है।

भारत उम्मीदों और संभावनाओं का देश है। यहां चाहे जितनी आपदा आ जाए, लोग फिर से नई उम्मीदों के साथ उठ खड़े होते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि आने वाले सालों में देश को क्या हासिल होने वाला है तो मैं कहूंगा कि आने वाला वक्त भारत का है। पिछले दिनों दिल्ली में पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था। मीडिया में यह सम्मेलन दलाई लामा की मौजूदगी पर भारत-चीन में हुई तकरार के नीचे दबकर रह गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के 46 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सभी देश भारत को बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में देखते हैं और इसके संरक्षण एवं प्रसार में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद भारत से करते हैं। यदि भारत इन देशों को नेतृत्व देने में सफल हो जाता है तो न सिर्फ एक-चौथाई दुनिया पर उसकी सहज लीडरशिप स्थापित हो जाएगी, बल्कि देश को पर्यटन के रूप में विदेशी मुद्रा और रोजगार का भारी खजाना भी मिलेगा। इन देशों में उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा तथा भारी उद्योगों, सैन्य उत्पादों के निर्माण आदि में भारत एक महती भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। वर्तमान प्रधानमंत्री की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' इस दिशा में एक सार्थक पहल है। हम भारतीयों को आशावादी रहते हुए कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना ही होगा।

राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति

इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये युवा मेहनती, रचनात्मक, जोशीले और साहसी हैं। खेल, राजनीति, बिजनेस, जॉब सभी क्षेत्रों में ये बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मेहनत का लोहा दुनिया मान रही है। आने वाला वक्त इन्हीं युवाओं का रहने वाला है। इन्हें अपने सपने पूरे करने के साथ-साथ शक्तिशाली भारत के निर्माण में भी जुटना होगा, फिर चाहे वे देश में निवास कर रहे युवा हों या फिर बाहर बसे अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)। सबके ऊपर देश के नवनिर्माण की भारी जिम्मेदारी है। हमें यह बात गांठ बांधनी होगी कि जब देश शक्तिशाली बनता है तो न केवल दुनिया भर में उस देश की कद बढ़ती है बल्कि उसके निवासियों का रुतबा भी बढ़ जाता है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखकर अगले संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा।

सुरक्षा परिषद में दावा

दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान पूर्वी एशिया के देश और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय मूल के बाहुल्य वाले फिजी, त्रिनिदाद टुबैगो, सिंगापुर तथा मॉरीशस जैसे छोटे-छोटे देश भी अब लीडरशिप के लिए भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। देश को ये मौके गंवाने नहीं चाहिए और सावधानी से कदम उठाकर 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का सपना पूरा करना चाहिए। हमारा देश पिछले कई सालों से सुरक्षा परिषद यानि कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछेक बड़ी शक्तियों की चालबाजी के चलते उसे अभी तक उसका सही स्थान नहीं मिल पाया है। सही मायनों में स्थाई सदस्यता के लिए वह शुरू से ही सशक्त दावेदार रहा है। मुझे लगता है कि यह सुनहरा दिन देखने का अवसर नजदीक आ रहा है।

देर-सवेर चीन व पाकिस्तान भी देगा साथ

विश्व राजनीति में स्थितियां इतनी तेजी से बदल रही हैं कि भारत के दावे को खुले तौर पर नकारना अब किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका समेत दुनिया के अनेक देश भारत के दावे का समर्थन कर चुके हैं। अब बड़ी ताकतों में केवल चीन बचा है, जो अपनी तिकड़मों के चलते भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, ऊपरी तौर पर कई मंचों पर समर्थन की मंशा भी प्रकट की है। लेकिन मुझे लगता है कि वह ज्यादा लंबे वक्त तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते मतभेद और अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, भारत के बीच बढ़ते सहयोग से चीन एक दिन खुद अपने जाल में घिर जाएगा और तब उसे विवश होकर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति में अपनी दोस्ती के स्थायित्व का यकीन दिलाने के लिए वह सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को समर्थन देगा। यद्यपि यह सही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस देश के अस्तित्व में आने के बाद से ही प्रजातंत्र की जड़ें जम भी नहीं पाई थीं कि देश की लगाम सैन्य तानाशाहों के हाथ में चली गई। बीच-बीच में कई बार

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्रम

प्राची सिंह

देश की आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति – जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दो शताब्दी लंबे ब्रिटिश शासन की छाप प्रदर्शित हो रही थी। भारत का कृषि क्षेत्र पहले ही अधिक श्रम शक्ति और बहुत ही कम उत्पादकता की वजह से अवतल (गड्ढे) में जा चुका था। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कमी थी और निवेश का भारी अभाव था। कुल मिलाकर देश के समक्ष असंख्य आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी थीं। आइए एक–एक कर देश की आजादी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को समझते हैं।

(क) कृषि की स्थिति – औपनिवेशिक (ब्रिटिश) शासनावधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः प्रकृति में कृषि संबंधी थी। लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। उस दौरान कृषि की जर्जर अवस्था के मुख्य कारण थे–

- स्वार्थी ब्रिटिश नीतियां, जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से राजस्व की वसूली या संकलन।
- उर्वरकों, तकनीकों का कम उपयोग तथा सिंचाई का अभाव
- कृषि में निवेश एवं संसाधनों का अभाव उपर्युक्त कारणों के अलावा, ब्रिटिशर्स/ब्रितानियों के द्वारा विभिन्न भूमि निपटान प्रणालियों को प्रस्तुत करना जैसे कि जमींदारी प्रणाली, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि में ठहराव आ गया। जमींदारी प्रणाली में जमींदार किसानों से राजस्व संग्रह कर ब्रिटिश अधिकारियों के पास जमा करते थे। यदि वे निर्धारित तिथि तक राजस्व नहीं जमा कर पाते थे तो वे अपने अधिकार खो देते थे। इन कारणों के चलते, जमींदार लोगों का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र से प्राप्त राजस्व/लाभ पर टिका रहता था। जिसके कारण जमींदार एवं खेतिहर (किसान) के बीच सामाजिक तनाव एवं असीम कृपणता रहती थी। ब्रितानी लोगों के इस कार्य ने कृषि की उत्पादकता को बहुत प्रभावित किया।

(ख) उद्योग की स्थिति– जैसा कि कृषि के मामले में था, ठीक लगभग वैसा ही निर्माण के क्षेत्र में था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण ठोस औद्योगिक आधार नहीं विकसित कर सका। इस अवधि के दौरान हस्तशिल्प उद्योग की अवनति (पतन) हुई जिसने कि भारतीय हस्तशिल्प के गौरव को समाप्त कर दिया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को क्रमबद्ध तरीके से दो कारणों से उद्योग विहीन बनाना था

- उनको अपने उद्योगों के तैयार माल की खपत के लिए भारत को एक अव्यवस्थित बाजार मिले, ताकि उनका निरंतर विस्तार ब्रिटिश लोगों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित कर सके।
- भारत ब्रिटेन के लिए केवल कच्चे माल का आपूरक बना रहे, ताकि उनका ब्रिटिश उद्योग आधुनिकीकरण की ओर उठता रहे। उन्नीसवीं सदी के उत्तर मध्य में, आधुनिक उद्योग ने भारत आने का मार्ग पकड़ा, लेकिन प्रगति धीमी थी। भारत का विकास केवल कपड़ा एवं जूट–कपड़ा उद्योगों की स्थापना तक ही परिसीमित रहा। पहली लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा निगमित की गई।

(ग) विदेशी व्यापार की स्थिति–भारत का विदेश व्यापार माल/आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार एवं प्रशुल्क में प्रतिबंधक नीतियों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन एवं जूट आदि का प्रमुख निर्यातक बन गया और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ों तथा ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित मशीनरी जैसे पूंजी माल के लिए आयातक बन गया। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटेन ने भारत के आयात–निर्यात पर अपनी नियंत्रण की एकाधिकार की नीतियां बनाई हुई थीं।

(घ) ढांचागत–संरचना की स्थिति– औपनिवेशिक शासन के दौरान, रेलवे, जहाजरानी बंदरगाह, जल परिवहन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ (डाक–तार) को विकसित किया गया, हालांकि, इस विकास के पीछे का असली उद्देश्य भारतीय लोगों के हितों को पूरा करना नहीं था, बल्कि विभिन्न औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं वृद्धि योजना

भारत के आजाद होने के पश्चात, भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना था, जो सभी के कल्याण को सुनिश्चित करे। उस समय दो महत्वपूर्ण विद्यमान अर्थव्यवस्थाएं–पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली थी। भारत ने दोनों के मध्य मार्ग को पकड़ते हुए समिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इस समिश्रित अर्थव्यवस्था ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम विशिष्टताओं को समायोजित करने का प्रयास किया और सभी का कल्याण सुनिश्चित किया।

भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रूपरेखा प्रदान करने के क्रम में, 1950 में भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मूलतः एक सुनिश्चित अवधि के भीतर राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को सर्वोत्तम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोगकर लक्ष्य को प्राप्त करना है।

भारत में आर्थिक योजना के मुख्य उद्देश्य

- प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाना
- पूर्ण रोजगार
- आय एवं समृद्धि की असमानता को घटाना
- एक समतावादी समाज की स्थापना

भारत का योजना आयोग –देश के संसाधनों का सक्षमतापूर्ण अवशोषण, उत्पादन में अभिवृद्धि तथा समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को तेजी से बेहतर बनाने के सरकार के घोषित उद्देश्य को अग्रेषित करने के लिए मार्च 1950 में भारत

देश की आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति – जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दो शताब्दी लंबे ब्रिटिश शासन की छाप प्रदर्शित हो रही थी। भारत का कृषि क्षेत्र पहले ही अधिक श्रम शक्ति और बहुत ही कम उत्पादकता की वजह से अवतल (गड्ढे) में जा चुका था। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कमी थी और निवेश का भारी अभाव था। कुल मिलाकर देश के समक्ष असंख्य आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी थीं। आइए एक–एक कर देश की आजादी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को समझते हैं।

(क) कृषि की स्थिति – औपनिवेशिक (ब्रिटिश) शासनावधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः प्रकृति में कृषि संबंधी थी। लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। उस दौरान कृषि की जर्जर अवस्था के मुख्य कारण थे–

- स्वार्थी ब्रिटिश नीतियां, जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से राजस्व की वसूली या संकलन।
- उर्वरकों, तकनीकों का कम उपयोग तथा सिंचाई का अभाव
- कृषि में निवेश एवं संसाधनों का अभाव उपरोक्त कारणों के अलावा, ब्रिटिशर्स/ब्रितानियों के द्वारा विभिन्न भूमि निपटान प्रणालियों को प्रस्तुत करना जैसे कि जमींदारी प्रणाली, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि में ठहराव आ गया। जमींदारी प्रणाली में जमींदार किसानों से राजस्व संग्रह कर ब्रिटिश अधिकारियों के पास जमा करते थे। यदि वे निर्धारित तिथि तक राजस्व नहीं जमा कर पाते थे तो वे अपने अधिकार खो देते थे। इन कारणों के चलते, जमींदार लोगों का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र से प्राप्त राजस्व/लाभ पर टिका रहता था। जिसके कारण जमींदार एवं खेतिहर (किसान) के बीच सामाजिक तनाव एवं असीम कृपणता रहती थी। ब्रितानी लोगों के इस कार्य ने कृषि की उत्पादकता को बहुत प्रभावित किया।

(ख) उद्योग की स्थिति– जैसा कि कृषि के मामले में था, ठीक लगभग वैसा ही निर्माण के क्षेत्र में था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण ठोस औद्योगिक आधार नहीं विकसित कर सका। इस अवधि के दौरान हस्तशिल्प उद्योग की अवनति (पतन) हुई जिसने कि भारतीय हस्तशिल्प के गौरव को समाप्त कर दिया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को क्रमबद्ध तरीके से दो कारणों से उद्योग विहीन बनाना था

- उनके अपने उद्योगों के तैयार माल की खपत के लिए भारत को एक अव्यवस्थित बाजार मिले, ताकि उनका निरंतर विस्तार ब्रिटिश लोगों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित कर सके।
- भारत ब्रिटेन के लिए केवल कच्चे माल का आपूरक बना रहे, ताकि उनका ब्रिटिश उद्योग आधुनिकीकरण की ओर उठता रहे। उन्नीसवीं सदी के उत्तर मध्य में, आधुनिक उद्योग ने भारत आने का मार्ग पकड़ा, लेकिन प्रगति धीमी थी। भारत का विकास केवल कपड़ा एवं जूट–कपड़ा उद्योगों की स्थापना तक ही परिसीमित रहा। पहली लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा निगमित की गई।

(ग) विदेशी व्यापार की स्थिति–भारत का विदेश व्यापार माल/आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार एवं प्रशुल्क में प्रतिबंधक नीतियों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन एवं जूट आदि का प्रमुख निर्यातक बन गया और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ों तथा ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित मशीनरी जैसे पूंजी माल के लिए आयातक बन गया। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटेन ने भारत के आयात–निर्यात पर अपनी नियंत्रण की एकाधिकार की नीतियां बनाई हुई थी।

(घ) ढांचागत–संरचना की स्थिति– औपनिवेशिक शासन के दौरान, रेलवे, जहाजरानी बंदरगाह, जल परिवहन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ (डाक–तार) को विकसित किया गया, हालांकि, इस विकास के पीछे का असली उद्देश्य भारतीय लोगों के हितों को पूरा करना नहीं था, बल्कि विभिन्न औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं वृद्धि योजना

भारत के आजाद होने के पश्चात, भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना था, जो सभी के कल्याण को सुनिश्चित करे। उस समय दो महत्वपूर्ण विद्यमान अर्थव्यवस्थाएं–पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली थी। भारत ने दोनों के मध्य मार्ग को पकड़ते हुए समिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इस समिश्रित अर्थव्यवस्था ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम विशिष्टताओं को समायोजित करने का प्रयास किया और सभी का कल्याण सुनिश्चित किया।

भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रूपरेखा प्रदान करने के क्रम में, 1950 में भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मूलतः एक सुनिश्चित अवधि के भीतर राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को सर्वोत्तम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का

देश की आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति – जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दो शताब्दी लंबे ब्रिटिश शासन की छाप प्रदर्शित हो रही थी। भारत का कृषि क्षेत्र पहले ही अधिक श्रम शक्ति और बहुत ही कम उत्पादकता की वजह से अवतल (गड्ढे) में जा चुका था। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कमी थी और निवेश का भारी अभाव था। कुल मिलाकर देश के समक्ष असंख्य आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी थी। आइए एक–एक कर देश की आजादी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को समझते हैं।

(क) कृषि की स्थिति – औपनिवेशिक (ब्रिटिश) शासनावधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः प्रकृति में कृषि संबंधी थी। लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। उस दौरान कृषि की जर्जर अवस्था के मुख्य कारण थे–

- स्वार्थी ब्रिटिश नीतियां, जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से राजस्व की वसूली या संकलन।
- उर्वरकों, तकनीकों का कम उपयोग तथा सिंचाई का अभाव
- कृषि में निवेश एवं संसाधनों का अभाव उपरोक्त कारणों के अलावा, ब्रिटिशर्स/ब्रितानियों के द्वारा विभिन्न भूमि निपटान प्रणालियों को प्रस्तुत करना जैसे कि जमींदारी प्रणाली, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि में ठहराव आ गया। जमींदारी प्रणाली में जमींदार किसानों से राजस्व संग्रह कर ब्रिटिश अधिकारियों के पास जमा करते थे। यदि वे निर्धारित तिथि तक राजस्व नहीं जमा कर पाते थे तो वे अपने अधिकार खो देते थे। इन कारणों के चलते, जमींदार लोगों का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र से प्राप्त राजस्व/लाभ पर टिका रहता था। जिसके कारण जमींदार एवं खेतिहर (किसान) के बीच सामाजिक तनाव एवं असीम कृपणता रहती थी। ब्रितानी लोगों के इस कार्य ने कृषि की उत्पादकता को बहुत प्रभावित किया।

(ख) उद्योग की स्थिति– जैसा कि कृषि के मामले में था, ठीक लगभग वैसा ही निर्माण के क्षेत्र में था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण ठोस औद्योगिक आधार नहीं विकसित कर सका। इस अवधि के दौरान हस्तशिल्प उद्योग की अवनति (पतन) हुई जिसने कि भारतीय हस्तशिल्प के गौरव को समाप्त कर दिया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को क्रमबद्ध तरीके से दो कारणों से उद्योग विहीन बनाना था

- उनके अपने उद्योगों के तैयार माल की खपत के लिए भारत को एक अव्यवस्थित बाजार मिले, ताकि उनको निरंतर विस्तार ब्रिटिश लोगों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित कर सकें।

- भारत ब्रिटेन के लिए केवल कच्चे माल का आपूरक बना रहे, ताकि उनका ब्रिटिश उद्योग आधुनिकीकरण की ओर उठता रहे। उन्नीसवीं सदी के उत्तर मध्य में, आधुनिक उद्योग ने भारत आने का मार्ग पकड़ा, लेकिन प्रगति धीमी थी। भारत का विकास केवल कपड़ा एवं जूट–कपड़ा उद्योगों की स्थापना तक ही परिसीमित रहा। पहली लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा निगमित की गई।

(ग) विदेशी व्यापार की स्थिति–भारत का विदेश व्यापार माल/आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार एवं प्रशुल्क में प्रतिबंधक नीतियों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन एवं जूट आदि का प्रमुख निर्यातक बन गया और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ों तथा ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित मशीनरी जैसे पूंजी माल के लिए आयातक बन गया। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटेन ने भारत के आयात–निर्यात पर अपनी नियंत्रण की एकाधिकार की नीतियां बनाई हुई थी।

(घ) ढांचागत–संरचना की स्थिति– औपनिवेशिक शासन के दौरान, रेलवे, जहाजरानी बंदरगाह, जल परिवहन, पोस्ट एंड टैलीग्राफ (डाक–तार) को विकसित किया गया, हालांकि, इस विकास के पीछे का असली उद्देश्य भारतीय लोगों के हितों को पूरा करना नहीं था, बल्कि विभिन्न औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं वृद्धि योजना

भारत के आजाद होने के पश्चात, भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना था, जो सभी के कल्याण को सुनिश्चित करे। उस समय दो महत्वपूर्ण विद्यमान अर्थव्यवस्थाएं–पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली थी। भारत ने दोनों के मध्य मार्ग को पकड़ते हुए समिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इस समिश्रित अर्थव्यवस्था ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम विशिष्टताओं को समायोजित करने का प्रयास किया और सभी का कल्याण सुनिश्चित किया।

भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रूपरेखा प्रदान करने के क्रम में, 1950 में भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मूलतः एक सुनिश्चित अवधि के भीतर राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को सर्वोत्तम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोगकर लक्ष्य को प्राप्त करना है।

भारत में आर्थिक योजना के मुख्य उद्देश्य

- प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाना
- पूर्ण रोजगार
- आय एवं समृद्धि की असमानता को घटाना
- एक समतावादी समाज की स्थापना

भारत का योजना आयोग –देश के संसाधनों का सक्षमतापूर्ण अवशोषण, उत्पादन में अभिवृद्धि तथा समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को तेजी से बेहतर बनाने के सरकार के घोषित उद्देश्य को अग्रेषित करने के लिए मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक संकल्प पारित कर योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग को इस उत्तरदायित्व के साथ प्रभारित किया गया कि वह देश के सभी संसाधनों के मूल्यांकन, विभिन्न संसाधनों का संवर्धन, संसाधनों के अत्यंत प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना तथा प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का कार्य करे।

1950 के संकल्प से स्थापित योजना आयोग के लिए कार्यों की रूपरेखा निम्नानुसार दी गई है–

देश की आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति – जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर दो शताब्दी लंबे ब्रिटिश शासन की छाप प्रदर्शित हो रही थी। भारत का कृषि क्षेत्र पहले ही अधिक श्रम शक्ति और बहुत ही कम उत्पादकता की वजह से अवतल (गड्ढे) में जा चुका था। औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कमी थी और निवेश का भारी अभाव था। कुल मिलाकर देश के समक्ष असंख्य आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी थीं। आइए एक–एक कर देश की आजादी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को समझते हैं।

(क) कृषि की स्थिति – औपनिवेशिक (ब्रिटिश) शासनावधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः प्रकृति में कृषि संबंधी थी। लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। उस दौरान कृषि की जर्जर अवस्था के मुख्य कारण थे–

- स्वार्थी ब्रिटिश नीतियां, जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से राजस्व की वसूली या संकलन।
- उर्वरकों, तकनीकों का कम उपयोग तथा सिंचाई का अभाव
- कृषि में निवेश एवं संसाधनों का अभाव उपरोक्त कारणों के अलावा, ब्रिटिशर्स/ब्रितानियों के द्वारा विभिन्न भूमि निपटान प्रणालियों को प्रस्तुत करना जैसे कि जमींदारी प्रणाली, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि में ठहराव आ गया। जमींदारी प्रणाली में जमींदार किसानों से राजस्व संग्रह कर ब्रिटिश अधिकारियों के पास जमा करते थे। यदि वे निर्धारित तिथि तक राजस्व नहीं जमा कर पाते थे तो वे अपने अधिकार खो देते थे। इन कारणों के चलते, जमींदार लोगों का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र से प्राप्त राजस्व/लाभ पर टिका रहता था। जिसके कारण जमींदार एवं खेतिहर (किसान) के बीच सामाजिक तनाव एवं असीम कृपणता रहती थी। ब्रितानी लोगों के इस कार्य ने कृषि की उत्पादकता को बहुत प्रभावित किया।

(ख) उद्योग की स्थिति– जैसा कि कृषि के मामले में था, ठीक लगभग वैसा ही निर्माण के क्षेत्र में था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण ठोस औद्योगिक आधार नहीं विकसित कर सका। इस अवधि के दौरान हस्तशिल्प उद्योग की अवनति (पतन) हुई जिसने कि भारतीय हस्तशिल्प के गौरव को समाप्त कर दिया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को क्रमबद्ध तरीके से दो कारणों से उद्योग विहीन बनाना था

- उनके अपने उद्योगों के तैयार माल की खपत के लिए भारत को एक अव्यवस्थित बाजार मिले, ताकि उनका निरंतर विस्तार ब्रिटिश लोगों के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित कर सकें।
- भारत बिट्रेन के लिए केवल कच्चे माल का आपूरक बना रहे, ताकि उनका ब्रिटिश उद्योग आधुनिकीकरण की ओर उठता रहे। उन्नीसवीं सदी के उत्तर मध्य में, आधुनिक उद्योग ने भारत आने का मार्ग पकड़ा, लेकिन प्रगति धीमी थी। भारत का विकास केवल कपड़ा एवं जूट–कपड़ा उद्योगों की स्थापना तक ही परिसीमित रहा। पहली लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा निगमित की गई।

(ग) विदेशी व्यापार की स्थिति–भारत का विदेश व्यापार माल/आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार एवं प्रशुल्क में प्रतिबंधक

आवास प्रहरी के रुप में डीडीए की भूमिका पर प्रहार

डीडीए (दि.वि.प्रा.) राष्ट्रीय राजधानी में सभी आवास गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखने की अपनी भूमिका को खो सकती है। वित्त मंत्रालय ने राजधानी के आवास क्षेत्र डीडीए के स्थान पर एक नए विनियामक के गठन पर कार्य शुरू कर दिया है जो फिलहाल विनियामक, एक आवास बोर्ड के साथ-साथ, भवन निर्माता के रूप में कार्य कर रहा है। डीडीए की ओर से इस कदम में रुकावट आ सकती है जिसने दिल्ली के लिए 2021 मास्टर प्लान बनाया है जो 202 वर्ग किलोमीटर के योजनाबद्ध विकास के जरिये राजधानी को वैश्विक महानगर बनाएगा। फिलहाल शहरी विकास मंत्रालय मास्टर प्लान की समीक्षा कर रहा है तथा सरकार के लिए विनियामक की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर रहा है। डीडीए के विनियामक नियमों को अनुकूल बनाकर शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों ने डीडीए, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ पिछले हफ्ते मुलाकात की। ''स्पष्टतः प्राधिकरण अधिक सक्रिय नहीं रहा, इसलिए सरकार को परिवर्तन लाने होंगे।'' आवास बोर्ड या शहरी विकास निकायों के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण पर है।

किराया आवास- आज की जरूरत

सौरभ शेखर झा, पत्रकार एवं अनुवादक

जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, ठीक उसी प्रकार शहरीकरण भी अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लेकर आया। भारत, जो कभी कृषि प्रधान और गांवों का देश माना जाता था, वहां औद्योगिक क्रांति ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये और देश में हर तरफ परिवर्तन की बयार चल पड़ी। कल–कारखानों के लगने का निःसंदेह हमें बहुत फायदा हुआ है। देश ने प्रगति की ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसे हम सिर्फ सपनों में या फिर पश्चिमी देशों में ही देख रहे थे। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले। मसलन कल–कारखानों के लगने से देश के कुछ भाग तेजी से विकसित होने लगे और आदमी दो बीघा जमीन को छोड़ फिर से नई जगह रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में जुट गया। शहरीकरण होने से जहां रोजगार के अवसर बढ़े, वहीं उनका केंद्रीकरण हो गया और लोग जल्दी से जल्दी अमीर होने के ख्वाब संजोए अपने गांव, घर को छोड़ शहरों में आने लगे। यहां रोजगार तो मिल गया लेकिन, वही आदमी एक बार फिर एक मकान के लिए संघर्ष करता नजर आया। ऐसे में किराए पर मकान का नया चलन शुरू हुआ। जिसने जहां एक ओर गांवों से आए लोगों को रहने के लिए एक आश्रय दिया, तो वहीं शहरों के मकान मालिकों के लिए आय का माध्यम बन गया। लेकिन विडंबना यह थी कि जिस तेजी से लोग गांवों को छोड़ शहर की ओर आये, ये शहर उस वेग को सहने को तैयार नहीं हो पाए।

यहीं से नए मकानों के बनने का दौर प्रारंभ हुआ और बीसवीं शताब्दी के शुरूआती वर्षों में आवास निवेश की दृष्टि से एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों के भू–स्वामी अपना अतिरिक्त धन भवन–निर्माण में निवेशित करने लगे। जिससे जहां एक ओर उनकी संपत्ति के भाव में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर उन्हें किराए के रूप में नियमित आय भी होने लगी। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि जो लोग घर खरीद नहीं सकते थे उन्हें भी किराये पर एक आश्रय नसीब हो गया। हालांकि आवासीय कमी की हालात में, विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप (युद्ध) किराया प्रतिबंध आदेश के कारण हालात फिर से बदतर होने लगे। जल्द ही, अस्थाई तौर पर लागू होने वाले इस आदेश को किराया नियंत्रण का कानूनी जामा पहना दिया गया। किराया नियंत्रण कानून के तौर पर यह विभिन्न राज्यों में लागू तो हो गया, लेकिन इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा; क्योंकि यह अधिनियम पूर्णतः किराएदारों के बचाव के लिए था और यह अधिनियम किराया राशि को लेकर मौन थी। इस कानून के आधार पर भू–स्वामियों के लिए व्यवहारिक तौर पर किराएदार को बेदखल करना असंभव था।

इस कानून के कारण हालात ऐसे हो गए कि दशकों तक किराया नियंत्रकों के द्वारा 'किराया नियतन फॉर्मूला' की जटिल प्रक्रिया द्वारा 'उचित किराया' और 'मानक किराया' के नाम पर कम से कम किराया दिया जाता रहा परिणामस्वरूप भू–स्वामियों के लिए अब यह सौदा गले की हड्डी साबित होने लगा और देश भर में किराएदार मकान खाली नहीं करने के दलीलें बहाने अपनाने लगे। अधिकतर बड़े भारतीय शहरों में ऐसा माना जाता था कि मकान की रखरखाव का जिम्मा मकान मालिक का है; क्योंकि वे ही किराए के रूप में इसका फायदा ले रहे हैं। जबकि कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां किराएदार कई सालों से मकान मालिक को किराया ही नहीं दे रहे और ना ही घर खाली कर रहे हैं। जिसके कारण से हमारे शहरों की हालत खराब होने लगी। कहीं तो मकान मालिक मनमाना किराया वसूलने लगे तो कहीं किराएदार मकानों पर जबरदस्ती कब्जा जमाने लगे। स्थिति बहुत ही दयनीय और हताशापूर्ण होने लगी। हालात यहां तक पहुंच गए कि जमीन के मालिक नए क्षेत्रों में किराए पर अपनी जमीन या घर देने से हिचकिचाने लगे। अब वे अपनी संपत्ति का निवेश करने से बेहतर इसे यूं ही पड़ा रखना बेहतर समझने लगे। इस तरह भू–संपदा के क्षेत्र में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ गई।

भूसंपदा में निवेश और अन्य संपत्ति वर्ग में निवेश में मूलभूत अंतर यह है कि पहले में आवधिक आधार पर राजस्व (रेवेन्यू) आता है तो वहीं दूसरे में रेवेन्यू के साथ ही पूंजी में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि यह भारत जैसे देश के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती; जहां एक ओर आवास की भारी कमी है और दूसरी ओर अनेकों अपार्टमेंट्स में ताले लगे हुए हैं। यह सब हुआ हमारी चुनी हुई सरकारों की वजह से; जिन्हें हमने चुना तो है कि वे देश में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएं; लेकिन उन्होंने बाजार विकृति का ऐसा बीज बोया जिसने ग्रामीण भारत को विकास की पटरी से उतार दिया और भारत (ग्रामीण) और इंडिया (शहरी) के बीच इतनी चौड़ी खाई बन गई है कि उसे पाटना अब नामुमकिन ही लग रहा है। समय–समय पर बहुत से मंचों पर इस बात पर चर्चा होती रही है कि किराया नियंत्रण कानून कहीं न कहीं अपनी उपयोगिता को खोता जा रहा है और भूमंडलीकरण के बाद से इसमें आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ऐसे कानून की जरूरत है जिससे भूस्वामी और किराएदार के बीच रिश्तों में खटास को कम किया जा सके।

भारत सरकार ने अपने बहुप्रचारित जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण पुनर्वास योजना के द्वारा सुदूर इलाकों में भूसंपदा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं राज्यों को मिला जहां कि सरकारों ने नए किराया कानून को अपनाया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति किराया आवास के ऐसे पहलू को प्रोत्साहित करती है जिसके तहत किसी भी आवास इकाई का किराया भू–स्वामियों और किराएदारों के बीच आपसी करार के अनुसार तय होना चाहिए। सरकार को सिर्फ सुविधाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। हालांकि, उनकी खुद की उल्लिखित नीति विरोधात्मक है। सरकार नया प्रारूप आवासीय काश्तकारी कानून 2011

जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, ठीक उसी प्रकार शहरीकरण भी अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन लेकर आया। भारत, जो कभी कृषि प्रधान और गांवों का देश माना जाता था, वहां औद्योगिक क्रांति ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये और देश में हर तरफ परिवर्तन की बयार चल पड़ी। कल–कारखानों के लगने का निःसंदेह हमें बहुत फायदा हुआ है। देश ने प्रगति की ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसे हम सिर्फ सपनों में या फिर पश्चिमी देशों में ही देख रहे थे। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले। मसलन कल–कारखानों के लगने से देश के कुछ भाग तेजी से विकसित होने लगे और आदमी दो बीघा जमीन को छोड़ फिर से नई जगह रोटी, कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में जुट गया। शहरीकरण होने से जहां रोजगार के अवसर बढ़े, वहीं उनका केंद्रीकरण हो गया और लोग जल्दी से जल्दी अमीर होने के ख्वाब संजोए अपने गांव, घर को छोड़ शहरों में आने लगे। यहां रोजगार तो मिल गया लेकिन, वही आदमी एक बार फिर एक मकान के लिए संघर्ष करता नजर आया। ऐसे में किराए पर मकान का नया चलन शुरू हुआ। जिसने जहां एक ओर गांवों से आए लोगों को रहने के लिए एक आश्रय दिया, तो वहीं शहरों के मकान मालिकों के लिए आय का माध्यम बन गया। लेकिन विडंबना यह थी कि जिस तेजी से लोग गांवों को छोड़ शहर की ओर आये, ये शहर उस वेग को सहने को तैयार नहीं हो पाए।

यहीं से नए मकानों के बनने का दौर प्रारंभ हुआ और बीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में आवास निवेश की दृष्टि से एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों के भू–स्वामी अपना अतिरिक्त धन भवन–निर्माण में निवेशित करने लगे। जिससे जहां एक ओर उनकी संपत्ति के भाव में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर उन्हें किराए के रूप में नियमित आय भी होने लगी। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि जो लोग घर खरीद नहीं सकते थे उन्हें भी किराये पर एक आश्रय नसीब हो गया। हालांकि आवासीय कमी की हालात में, विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप (युद्ध) किराया प्रतिबंध आदेश के कारण हालात फिर से बदतर होने लगे। जल्द ही, अस्थाई तौर पर लागू होने वाले इस आदेश को किराया नियंत्रण का कानूनी जामा पहना दिया गया। किराया नियंत्रण कानून के तौर पर यह विभिन्न राज्यों में लागू तो हो गया, लेकिन इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा; क्योंकि यह अधिनियम पूर्णतः किराएदारों के बचाव के लिए था और यह अधिनियम किराया राशि को लेकर मौन थी। इस कानून के आधार पर भू–स्वामियों के लिए व्यवहारिक तौर पर किराएदार को बेदखल करना असंभव था।

इस कानून के कारण हालात ऐसे हो गए कि दशकों तक किराया नियंत्रकों के द्वारा 'किराया नियतन फॉर्मूला' की जटिल प्रक्रिया द्वारा 'उचित किराया' और 'मानक किराया' के नाम पर कम से कम किराया दिया जाता रहा परिणामस्वरूप भू–स्वामियों के लिए अब यह सौदा गले की हड्डी साबित होने लगा और देश भर में किराएदार मकान खाली नहीं करने के दसियों बहाने अपनाने लगे। अधिकतर बड़े भारतीय शहरों में ऐसा माना जाता था कि मकान की रखरखाव का जिम्मा मकान मालिक का है; क्योंकि वे ही किराए के रूप में इसका फायदा ले रहे हैं। जबकि कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां किराएदार कई सालों से मकान मालिक को किराया ही नहीं दे रहे और ना ही घर खाली कर रहे हैं। जिसके कारण से हमारे शहरों की हालत खराब होने लगी। कहीं तो मकान मालिक मनमाना किराया वसूलने लगे तो कहीं किराएदार मकानों पर जबरदस्ती कब्जा जमाने लगे। स्थिति बहुत ही दयनीय और हताशापूर्ण होने लगी। हालात यहां तक पहुंच गए कि जमीन के मालिक नए क्षेत्रों में किराए पर अपनी जमीन या घर देने से हिचकिचाने लगे। अब वे अपनी संपत्ति का निवेश करने से बेहतर इसे यूं ही पड़ा रखना बेहतर समझने लगे। इस तरह भू–संपदा के क्षेत्र में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ गई।

भूसंपदा में निवेश और अन्य संपत्ति वर्ग में निवेश में मूलभूत अंतर यह है कि पहले में आवधिक आधार पर राजस्व (रिवेन्यू) आता है तो वहीं दूसरे में रिवेन्यू के साथ ही पूंजी में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि यह भारत जैसे देश के लिए एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती; जहां एक ओर आवास की भारी कमी है और दूसरी ओर अनेकों अपार्टमेंट्स में ताले लगे हुए हैं। यह सब हुआ हमारी चुनी हुई सरकारों की वजह से, जिन्हें हमने चुना तो है कि वे देश में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने बाजार विकृति का ऐसा बीज बोया जिसने ग्रामीण भारत को विकास की पटरी से उतार दिया और भारत (ग्रामी) और इंडिया (शहरी) के बीच इतनी चौड़ी खाई बन गई है कि उसे पाटना अब नामुमकिन ही लग रहा है। समय–समय पर

बहुत से मंचों पर इस बात पर चर्चा होती रही है कि किराया नियंत्रण कानून कहीं न कहीं अपनी उपयोगिता को खोता जा रहा है और भूमंडलीकरण के बाद से इसमें आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ऐसे कानून की जरूरत है जिससे भूस्वामी और किराएदार के बीच रिश्तों में खटास को कम किया जा सके।

भारत सरकार ने अपने बहुप्रचारित जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण पुनर्वास योजना के द्वारा सुदूर इलाकों में भूसंपदा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं राज्यों को मिला जहां कि सरकारों ने नए किराया कानून को अपनाया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति किराया आवास के ऐसे पहलू को प्रोत्साहित करती है जिसके तहत किसी भी आवास इकाई का किराया भू–स्वामियों और किराएदारों के बीच आपसी करार के अनुसार तय होना चाहिए। सरकार को सिर्फ सुविधाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। हालांकि, उनकी खुद की उल्लिखित नीति विरोधात्मक है। सरकार नया प्रारूप आवासीय काश्तकारी कानून 2011 लेकर आई है जिसमें फिर से पुरानी अवधारणा किराया नियतन को अपनाने की बात कही गई है जिसमें सरकारी तंत्र (मशीनरी) हस्तक्षेप किया करेगी। प्रथमदृष्टया यह देखने में बिल्कुल अतार्किक लगता है,

बुरे काम का बुरा नतीजा

अमर सिंह रावत, राजभाषा अधिकारी

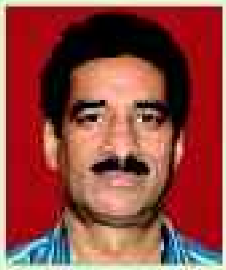

एक बार सादे वेश में बादशाह अकबर अपने सबसे प्रिय मंत्री एवं सलाहकार बीरबल के साथ अपने नियमित भ्रमण पर थे, जिस दौरान वे गोपनीय रूप से अपनी प्रजा का हालचाल पता करते और बाद में उनके कष्ट निवारण के लिए यथोचित प्रबंध करते थे। वे दोनों एक मुहल्ले में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि 10–12 साल के दो बच्चे अपने घर के सामने खेल–खेल में गड्ढा खोद रहे हैं। बादशाह से रहा नहीं गया उन्होंने बीरबल से कहा– "बीरबल इन बच्चों के माता–पिता कितने लापरवाह हैं जो यह नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किसी का पैर गड्ढे में आ गया तो चोट लग सकती है।"

बीरबल ने एक लड़के को आवाज दी और कहा कि जाओ अपने पिता को बुलाकर लाओ। वह लड़का दौड़कर घर के अंदर गया और अपने पिता को बुला लाया और फिर दोनों बच्चे गड्ढे को अधूरा खुदा हुआ छोड़ कर किसी अन्य खेल में व्यस्त हो गये। इधर बीरबल ने उससे कहा कि कृषक भाई आपके बच्चे घर के बाहर यह गड्ढा खोद रहे हैं, अगर किसी का पांव पड़ा तो चोट लग सकती है। आपको इन्हें डांटना चाहिए। उस किसान ने कहा– "भाई साहब ये बच्चे ही तो हैं। अब इन्हें क्या समझाएं। इन्हें किसी दिन खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह क्या कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान हैं।" बादशाह बोले– "भाई मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा, जबतक आप इन्हें नहीं समझाएंगे या बताएंगे तो ये कैसे समझेंगे?" उस किसान ने बिना किसी लाग–लपेट के जवाब दिया– "भाई हमारा तो यह मानना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वह खुद ही उसमें गिरते हैं।"

बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि चलिए छोड़िए इस बात को। यह इसका अपना मामला है। आइए थोड़ा और आगे चलकर जनता का हालचाल पता करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद पुनः उसी गली से जब बीरबल एवं बादशाह अकबर लौटे तो देखा उसी किसान के दरवाजे पर भीड़ लगी थी और जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि घर के आगे खुदे गड्ढे में पांव आने से बड़े लड़के का पांव घुटनों के पास से उखड़ गया है, जिसे गरम तेल लगाकर एक हकीम साहब वापस जोड़ बिठा रहे थे और बच्चा दर्द के कारण रो रहा था।

बादशाह से रहा नहीं गया। उन्होंने उस किसान से कहा– "देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बच्चों को समझाओ, पर तब आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।" उस किसान ने कहा– "मैंने भी तो आपसे कहा था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिरता है। अब देखिये न, इसने गड्ढा खोदा था और खुद ही उसमें गिर पड़ा। जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। जहां तक मैं समझता हूं, इस हादसे से उसे यह सबक मिल गया कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है।"

यदि आज के दौर में देखा जाए तो शायद उपरोक्त बातें गलत सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में अधिकतर लोग गड्ढे खोदकर दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। आज किसी राजनीतिक नेता को देख लें या फिर राजनीतिक दल को ही देख लें, हर दल दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। हां इन सबके बावजूद कई मामलों में ये सब पक्के चोर–चोर मौसेरे भाई नहीं; बल्कि बिल्कुल सगे–सहोदर भाई होते हैं। अगर जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो झट से सारे नेता एक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच के दायरे में कोई संसद सदस्य और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमाम में सभी नंगे बैठे हैं।

ये नेतागण बार–बार प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और अगर इनके खिलाफ कोई आंदोलन जोर पकड़ता है तो वे एक सुर में इसे अलोकतांत्रिक करार देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार केवल हमें है और हम जैसा चाहें, वैसा कानून बना सकते हैं। हमें जनता

एक बार सादे वेश में बादशाह अकबर अपने सबसे प्रिय मंत्री एवं सलाहकार बीरबल के साथ अपने नियमित भ्रमण पर थे, जिस दौरान वे गोपनीय रूप से अपनी प्रजा का हालचाल पता करते और बाद में उनके कष्ट निवारण के लिए यथोचित प्रबंध करते थे। वे दोनों एक मुहल्ले में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि 10–12 साल के दो बच्चे अपने घर के सामने खेल–खेल में गड्ढा खोद रहे हैं। बादशाह से रहा नहीं गया उन्होंने बीरबल से कहा– "बीरबल इन बच्चों के माता–पिता कितने लापरवाह हैं जो यह नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किसी का पैर गड्ढे में आ गया तो चोट लग सकती है।"

बीरबल ने एक लड़के को आवाज दी और कहा कि जाओ अपने पिता को बुलाकर लाओ। वह लड़का दौड़कर घर के अंदर गया और अपने पिता को बुला लाया और फिर दोनों बच्चे गड्ढे को अधूरा खुदा हुआ छोड़ कर किसी अन्य खेल में व्यस्त हो गये। इधर बीरबल ने उससे कहा कि कृषक भाई आपके बच्चे घर के बाहर यह गड्ढा खोद रहे हैं, अगर किसी का पांव पड़ा तो चोट लग सकती है। आपको इन्हें डांटना चाहिए। उस किसान ने कहा– "भाई साहब ये बच्चे ही तो हैं। अब इन्हें क्या समझाएं। इन्हें किसी दिन खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह क्या कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान हैं।" बादशाह बोले– "भाई मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा, जबतक आप इन्हें नहीं समझाएंगे या बताएंगे तो ये कैसे समझेंगे?" उस किसान ने बिना किसी लाग–लपेट के जवाब दिया– "भाई हमारा तो यह मानना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वह खुद ही उसमें गिरते हैं।"

बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि चलिए छोड़िए इस बात को। यह इसका अपना मामला है। आइए थोड़ा और आगे चलकर जनता का हालचाल पता करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद पुनः उसी गली से जब बीरबल एवं बादशाह अकबर लौटे तो देखा उसी किसान के दरवाजे पर भीड़ लगी थी और जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि घर के आगे खुदे गड्ढे में पांव आने से बड़े लड़के का पांव घुटनों के पास से उखड़ गया है, जिसे गरम तेल लगाकर एक हकीम साहब वापस जोड़ बिठा रहे थे और बच्चा दर्द के कारण रो रहा था।

बादशाह से रहा नहीं गया। उन्होंने उस किसान से कहा– "देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बच्चों को समझाओ, पर तब आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।" उस किसान ने कहा– "मैंने भी तो आपसे कहा था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिरता है। अब देखिये न, इसने गड्ढा खोदा था और खुद ही उसमें गिर पड़ा। जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। जहां तक मैं समझता हूं, इस हादसे से उसे यह सबक मिल गया कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है।"

यदि आज के दौर में देखा जाए तो शायद उपरोक्त बातें गलत सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में अधिकतर लोग गड्ढे खोदकर दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। आज किसी राजनीतिक नेता को देख लें या फिर राजनीतिक दल को ही देख लें, हर दल दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। हां इन सबके बावजूद कई मामलों में ये सब पक्के चोर–चोर मौसेरे भाई नहीं, बल्कि बिल्कुल सगे–सहोदर भाई होते हैं। अगर जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो झट से सारे नेता एक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच के दायरे में कोई संसद सदस्य और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमाम में सभी नंगे बैठे हैं।

ये नेतागण बार–बार प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और अगर इनके खिलाफ कोई आंदोलन जोर पकड़ता है तो वे एक सुर में इसे अलोकतांत्रिक करार देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार केवल हमें है और हम जैसा चाहें, वैसा कानून बना सकते हैं। हमें जनता आंदोलन खड़ाकर चुनौती न दें।

अब इन लोगों से पूछिए कि भाई संसद में आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर किसने भेजा है और आप संसद में किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब वही जनता आपसे एक अच्छा और कारगर कानून बनाने के लिए आग्रह करती है तो आप सुनते नहीं हैं और जब आपको जगाने के लिए आंदोलन करती है तो आप उसे अलोकतांत्रिक करार देते हैं और अगर फिर भी आपके आगे आवाज उठाकर खड़ी रहती है तो आप रात में सोती हुई निहत्थी जनता पर लाठियां चलवा कर अपनी दादागिरी दिखाते हैं। अगर जनता फिर भी एकजुट रहती है तो आप उसे फासिस्ट ताकतें या सांप्रदायिक बताकर आपस में फूट डालने से भी नहीं चूकते हैं।

एक बार सादे वेश में बादशाह अकबर अपने सबसे प्रिय मंत्री एवं सलाहकार बीरबल के साथ अपने नियमित भ्रमण पर थे, जिस दौरान वे गोपनीय रूप से अपनी प्रजा का हालचाल पता करते और बाद में उनके कष्ट निवारण के लिए यथोचित प्रबंध करते थे। वे दोनों एक मुहल्ले में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि 10–12 साल के दो बच्चे अपने घर के सामने खेल–खेल में गड्ढा खोद रहे हैं। बादशाह से रहा नहीं गया उन्होंने बीरबल से कहा– "बीरबल इन बच्चों के माता–पिता कितने लापरवाह हैं जो यह नहीं देखते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किसी का पैर गड्ढे में आ गया तो चोट लग सकती है।"

बीरबल ने एक लड़के को आवाज दी और कहा कि जाओ अपने पिता को बुलाकर लाओ। वह लड़का दौड़कर घर के अंदर गया और अपने पिता को बुला लाया और फिर दोनों बच्चे गड्ढे को अधूरा खुदा हुआ छोड़ कर किसी अन्य खेल में व्यस्त हो गये। इधर बीरबल ने उससे कहा कि कृषक भाई आपके बच्चे घर के बाहर यह गड्ढा खोद रहे हैं, अगर किसी का पांव पड़ा तो चोट लग सकती है। आपको इन्हें डांटना चाहिए। उस किसान ने कहा– "भाई साहब ये बच्चे ही तो हैं। अब इन्हें क्या समझाएं। इन्हें किसी दिन खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह क्या कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान है।" बादशाह बोले– "भाई मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा, जबतक आप इन्हें नहीं समझाएंगे या बताएंगे तो ये कैसे समझेंगे?" उस किसान ने बिना किसी लाग–लपेट के जवाब दिया– "भाई हमारा तो यह मानना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वह खुद ही उसमें गिरते हैं।"

बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए कहा कि चलिए छोड़िए इस बात को। यह इसका अपना मामला है। आइए थोड़ा और आगे चलकर जनता का हालचाल पता करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद पुनः उसी गली से जब बीरबल एवं बादशाह अकबर लौटे तो देखा उसी किसान के दरवाजे पर भीड़ लगी थी और जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि घर के आगे खुदे गड्ढे में पांव आने से बड़े लड़के का पांव घुटनों के पास से उखड़ गया है, जिसे गरम तेल लगाकर एक हकीम साहब वापस जोड़ बिठा रहे थे और बच्चा दर्द के कारण रो रहा था।

बादशाह से रहा नहीं गया। उन्होंने उस किसान से कहा– "देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बच्चों को समझाओ, पर तब आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।" उस किसान ने कहा– "मैंने भी तो आपसे कहा था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उसमें गिरता है। अब देखिये न, इसने गड्ढा खोदा था और खुद ही उसमें गिर पड़ा। जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। जहां तक मैं समझता हूं, इस हादसे से उसे यह सबक मिल गया कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है।"

यदि आज के दौर में देखा जाए तो शायद उपरोक्त बातें गलत सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में अधिकतर लोग गड्ढे खोदकर दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। आज किसी राजनीतिक नेता को देख लें या फिर राजनीतिक दल को ही देख लें, हर दल दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त है। हां इन सबके बावजूद कई मामलों में ये सब पक्के चोर–चोर मौसेरे भाई नहीं, बल्कि बिल्कुल सगे–सहोदर भाई होते हैं। अगर जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो झट से सारे नेता एक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच के दायरे में कोई संसद सदस्य और प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि हमाम में सभी नंगे बैठे हैं।

ये नेतागण बार–बार प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और अगर इनके खिलाफ कोई आंदोलन जोर पकड़ता है तो ये एक सुर में इसे अलोकतांत्रिक करार देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार केवल हमें है और हम जैसा चाहें, वैसा कानून बना सकते हैं। हमें जनता आंदोलन खड़ाकर चुनौती न दें।

अब इन लोगों से पूछिए कि भाई संसद में आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर किसने भेजा है और आप संसद में किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब वही जनता आपसे एक अच्छा और कारगर कानून बनाने के लिए आग्रह करती है तो आप सुनते नहीं हैं और जब आपको जगाने के लिए आंदोलन करती है तो आप उसे अलोकतांत्रिक करार देते हैं और अगर फिर

राष्ट्र भाषा का महत्व और उसकी उपलब्धि

-धीरज कुमार, सहायक प्रबंधक

भाषा केवल शिक्षा का माध्यम ही नहीं, बल्कि यह सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण भी होती है। भारतवर्ष की बुनियाद "विविधता में एकता" की नींव पर आधारित है। भाषा, सभ्यता व संस्कृति के बीच चोली दामन का साथ है। भाषाएं अपनी-अपनी संस्कृति से जुड़ी रहकर अपने प्रांतीय चरित्र को उजागर करती हैं। किसी संस्कृति को नष्ट होने से बचाना है तो सर्वप्रथम भाषा को बचाना होगा।

हिंदी अपनी विशुद्ध वैज्ञानिक लिपि तथा अनुशासित भाषा के साथ सरल, बोधगम्य व शीघ्र ही समझ में आने वाली तथा बहुत कम समय में सीखी जाने वाली भाषा है। हिंदी का व्याकरण सरल होने के साथ यह भाषा उच्चारण एवं समझने में सुगम है। यही कारण है कि विश्व के हर कोने में इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। विदेशों में आज हिंदी अपने पठन-पाठन व अध्ययन के लिये सुगम भाषा के रूप में ख्याति अर्जित करती जा रही है। वास्तविकता यह है कि विदेशों में हिंदी भाषा में रचित साहित्य की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं। इससे अलग भाषा की कोई भी परिभाषा हो ही नहीं सकती। भाषा का संबंध मनुष्य और समाज से है। भाषा कोई व्यक्तिगत या विशेष परिवार की सम्पत्ति नहीं बल्कि वह एक सामाजिक निधि है। इसलिए सामाजिक सरोकारों से परे कोई भाषा हो ही नहीं सकती। किसी भी देश में राष्ट्र भाषा का सम्मान उस भाषा को ही प्राप्त होता है जो देश विशेष में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था।

हर एक देश की तरक्की उसकी भाषा से जुड़ी हुई होती है, जो हमारे अस्तित्व की पहचान है, उसकी अपनी गरिमा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, बोलने वाले की अस्मिता भी है और संस्कृति भी है जिसमें आपसी संबंधों के मूल्य, बड़ों का आदर-सम्मान, परिवार के सामाजिक सरोकार, रीति-रिवाजों के सामूहिक तौर तरीके सीधे रूप से भाषा से जुड़े होते हैं।

किसी भी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में चिह्नित होते ही उसके दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। अब यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि विश्व के समक्ष वह समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को सदैव चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन को संचालित करने के लिए अनुभव और ज्ञान के संतुलन की आवश्यकता होती है और अनुभव तथा ज्ञान नामक ये दोनों ही पक्ष अपने विकास के लिए भाषा की अतुलनीय समृद्धि की मांग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है "देश की अखंडता व आजादी के लिए हिंदी एक पुल है" अगर ऐसा है तो अब हमारी राष्ट्रभाषा देश-विदेश में रचे जा रहे साहित्य को जोड़ने का काम करेगी।

हिंदी की लोकप्रियता आज इतनी बढ़ गई है कि इसका आकलन इस तथ्य से ही किया जा सकता है कि दक्षिण भारत जो कभी इसका विरोधी था वहां आज लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग आरंभ हो चुके हैं। इतना ही नहीं तेलुगु, तमिल, कन्नड व मलयाली साहित्य का बड़ी तेजी से हिंदी में अनुवाद हो रहा है।

राष्ट्रभाषा को स्थान दिये बिना राष्ट्र के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता को परिभाषित करना अकल्पनीय होगा। इन परिणामों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जा सकती है। राष्ट्रभाषा से स्पष्ट तात्पर्य देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली-लिखी और समझी जाने वाली भाषा से है। भाषा उस भूभाग पर रहनेवाले लोगों की संस्कृति के तत्वों को अंतर्निहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता निहित हो।

देश में साहित्य-सृजन की दृष्टि से, प्रकाशन उद्योग की दृष्टि से हिंदी एक समर्थ भाषा बनी है। भाषा और ज्ञान के तमाम विषयों पर हिंदी में काम शुरू हुआ है। रक्षा, अनुवांशिकी, चिकित्सा, जीवविज्ञान, भौतिकी क्षेत्रों में हिंदी में भारी संख्या में किताबें आ रही हैं। उनकी गुणवत्ता पर विचार हो सकता है किंतु हर प्रकार के ज्ञान और सूचना को अभिव्यक्ति देने में अपने सामर्थ्य का अहसास हिंदी करा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी मीडिया के बड़े-बड़े 'अंग्रेजी दां चैनल' भी हिंदी में कार्यक्रम बनाने पर मजबूर हैं। ताजा उपभोक्तावाद की हवा के चलते हिंदी की ताकत ज्यादा बढ़ी है। हिंदी को 21वीं सदी की भाषा बनना है। आने वाले समय की चुनौतियों के मद्देनजर हिंदी का ज्ञान, सूचनाओं और अनुसंधान की भाषा के रूप में स्वयं को साबित करना है।

राष्ट्रभाषा के उत्कर्ष हेतु क्रियाकलाप

1. प्रत्येक परिवार में माता-पिता या अभिभावक अपनी मातृभाषा या हिंदी में ही वार्तालाप करें और बच्चों के साथ घर में सदा-सर्वदा हिंदी में ही बोलें अर्थात् हिंदी का वातावरण बनाये रखें।

2. भारतीय संस्कृति के आदर्शों तथा मूल्यों से पूर्ण साहित्य का पठन-पाठन जरूरी है। नगरों, शहरों व कस्बों में हिंदी ग्रंथालय तथा वाचनालय स्थापित करें, प्रमुख पत्रिकाएं मंगवाकर सब को सुलभ करायें। हिंदी में रचित उत्तम साहित्य तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकें मंगवायें जिससे हिंदी का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो सके।

3. हिंदी की विविध विधाओं पर प्रतियोगिताएं कराएं तथा विजेताओं को

भाषा केवल शिक्षा का माध्यम ही नहीं, बल्कि यह सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण भी होती है। भारतवर्ष की बुनियाद "विविधता में एकता" की नींव पर आधारित है। भाषा, सभ्यता व संस्कृति के बीच चोली दामन का साथ है। भाषाएं अपनी–अपनी संस्कृति से जुड़ी रहकर अपने प्रांतीय चरित्र को उजागर करती हैं। किसी संस्कृति को नष्ट होने से बचाना है तो सर्वप्रथम भाषा को बचाना होगा।

हिंदी अपनी विशुद्ध वैज्ञानिक लिपि तथा अनुशासित भाषा के साथ सरल, बोधगम्य व शीघ्र ही समझ में आने वाली तथा बहुत कम समय में सीखी जाने वाली भाषा है। हिंदी का व्याकरण सरल होने के साथ यह भाषा उच्चारण एवं समझने में सुगम है। यही कारण है कि विश्व के हर कोने में इसका प्रचार–प्रसार हो रहा है। विदेशों में आज हिंदी अपने पठन–पाठन व अध्ययन के लिये सुगम भाषा के रूप में ख्याति अर्जित करती जा रही है। वास्तविकता यह है कि विदेशों में हिंदी भाषा में रचित साहित्य की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही है।

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं। इससे अलग भाषा की कोई भी परिभाषा हो ही नहीं सकती। भाषा का संबंध मनुष्य और समाज से है। भाषा कोई व्यक्तिगत या विशेष परिवार की सम्पत्ति नहीं बल्कि यह एक सामाजिक निधि है। इसलिए सामाजिक सरोकारों से परे कोई भाषा हो ही नहीं सकती। किसी भी देश में राष्ट्र भाषा का सम्मान उस भाषा को ही प्राप्त होता है जो देश विशेष में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था।

हर एक देश की तरक्की उसकी भाषा से जुड़ी हुई होती है, जो हमारे अस्तित्व की पहचान है, उसकी अपनी गरिमा है। भाषा केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, बोलने वाले की अस्मिता भी है और संस्कृति भी है जिसमें आपसी संबंधों के मूल्य, बड़ों का आदर–सम्मान, परिवार के सामाजिक सरोकार, रीति–रिवाजों के सामूहिक तौर तरीके सीधे रूप से भाषा से जुड़े होते हैं।

किसी भी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में विहित होते ही उसके दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। अब यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि विश्व के समक्ष वह समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को सदैव चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन को संचालित करने के लिए अनुभव और ज्ञान के संतुलन की आवश्यकता होती है और अनुभव तथा ज्ञान नामक ये दोनों ही पक्ष अपने विकास के लिए भाषा की अतुलनीय समृद्धि की मांग करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है "देश की अखंडता व आजादी के लिए हिंदी एक पुल है" अगर ऐसा है तो अब हमारी राष्ट्रभाषा देश–विदेश में रचे जा रहे साहित्य को जोड़ने का काम करेगी।

हिंदी की लोकप्रियता आज इतनी बढ़ गई है कि इसका आकलन इस तथ्य से ही किया जा सकता है कि दक्षिण भारत जो कभी इसका विरोधी था वहां आज लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग आरंभ हो चुके हैं। इतना ही नहीं तेलुगु, तमिल, कन्नड व मलयाली साहित्य का बड़ी तेजी से हिंदी में अनुवाद हो रहा है।

राष्ट्रभाषा को स्थान दिये बिना राष्ट्र के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता को परिभाषित करना अकल्पनीय होगा। इन परिणामों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जा सकती है। राष्ट्रभाषा से स्पष्ट तात्पर्य देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली–लिखी और समझी जाने वाली भाषा से है। भाषा उस भूभाग पर रहनेवाले लोगों की संस्कृति के तत्वों को अंतर्निहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान–प्रदान की उदारता निहित हो।

सम्मेलन

– डी.एन. सोमदेवे, सहा. महाप्रबंधक

मैं एक भारतीय सम्मेलन में शिरकत कर के लौटा हूं,

भारतीयों का हिंदी से नाता टूटा जान माथे पर हाथ रख बैठा हूं,

आयोजक अंग्रेजी में गला फाड़ रहे थे

सहभागी भारतीय भी अंग्रेजी झाड़ रहे थे

स्त्री को स्वतंत्रता देने की सर्वाधिक वकालत हो रही थी

इसलिए अर्धनग्न स्त्रियों के मुख पर अजीब सी खुशी झलक रही थी

चर्चा थी कि देश का धन हर कोई लूट रहा है

देश के आका बने नेताओं के हाथ देश बर्बाद हो रहा है

यहां पर आए कुछ लुटेरे लूट की बात कर रहे थे

अपनी ही मातृभूमि को सरेआम बदनाम कर रहे थे

सम्मेलन के बाहर भिखारियों की भीड़ खड़ी थी

सामने पंडालों के भीतर मुर्गा–मछली भुन रही थी

एक भिखारी ने कहा काश हम भी इस देश के नेता होते

मुर्ग–मुसल्लम खाते, अंग्रेजी पीते व विरोधी को गाली देते

दूजे ने कहा जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, नेता जी

उन घड़ियों में रोए क्यों? सपना तो देख ही सकते हैं।

रक्तचाप

-डॉ. वर्षा सोमदेवे (एम.बी.बी.एस) सुपुत्री श्री जी.एन. सोमदेवे, स.महाप्रबंधक

शरीर की रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गये दबाव को रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं जो है हृदय से पंप होने वाले रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाती हैं। हृदय, रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इसपर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप, सिस्टोलिक / डायास्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि 120 / 80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायास्टोलिक रक्तचाप अर्थात् नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है बनिस्पत जब वह शिथिल होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलिमीटर के बीच होता है। सामान्य डायास्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मि.मि. के बीच होता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120 / 80 होना चाहिए।

निम्न रक्तचाप : निम्न रक्तचाप वह दाब है जिससे धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, जिससे ये इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पातीं और इससे यह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप के विपरीत, निम्न रक्तचाप की पहचान मूलतः लक्षण और संकेत से होती है, ना कि विशिष्ट दाब संख्या के कारण। किसी–किसी का रक्तचाप 90 / 50 होता है लेकिन उसमें निम्न रक्त चाप के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं और इसलिए उन्हें निम्न रक्तचाप नहीं होता। तथापि ऐसे व्यक्तियों में जिनका रक्तचाप उच्च है और उनका रक्तचाप यदि 100 / 60 तक गिर जाता है तो उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

यदि किसी को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आता हो या मितली आती हो या खड़े होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता हो तो उसे आर्थोस्टेटिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। खड़े होने पर निम्न दाब के कारण होने वाले प्रभाव को सामान्य व्यक्ति शीघ्र ही काबू में कर लेता है। लेकिन जब पर्याप्त रक्तचाप के कारण चक्रीय धमनी में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। जब गुर्दों में अपर्याप्त मात्रा में खून की आपूर्ति होती है तो गुर्दे शरीर से यूरिया और क्रिएटाइन जैसे अपशिष्टों को निकाल नहीं पाते जिससे रक्त में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है।

उच्च रक्तचाप : 130 / 80 से ऊपर का रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहलाता है। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च चाप है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। भावनात्मक तनाव व दबाव अस्थायी तौर पर रक्त के दाब को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः रक्तचाप 120 / 80 से कम होना चाहिए और 120 / 80 तथा 139 / 89 के बीच का रक्त का दबाव प्रारंभिक उच्च रक्तचाप कहलाता है और 140 / 90 या उससे अधिक का रक्तचाप उच्च समझा जाता है। उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, धमनियों के सख्त हो जाने, आंखें खराब होने और मस्तिष्क खराब होने का जोखिम बढ़ जाता है। युवाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या का मुख्य कारण उनकी अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान होते हैं। यदि चक्कर आए, सिरदर्द हो, सांस में तकलीफ हो, नींद न आए, शीथिलता रहे, कम मेहनत करने पर सांस फूले और नाक से खून गिरने इत्यादि की परेशानी हो, तो चिकित्सक से तुरंत जांच करायें, संभव है ये उच्च रक्तचाप के कारण हों। उच्च रक्तचाप के कारणों में निम्न कारक शामिल हैं:–

- चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि मानसिक विकार
- कई बार, बार–बार या आवश्यकता से अधिक खाना।

शरीर की रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गये दबाव को रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं जो है हृदय से पंप होने वाले रक्त को शरीर के सभी ऊत्तकों और इंद्रियों तक ले जाती हैं। हृदय, रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इसपर लगने वाले दवाव को ही रक्तचाप कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप, सिस्टोलिक / डायास्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

रक्तचाप वर्गीकरण

श्रेणी	सिस्टोलिक, मिली मर्करी	डायास्टोलिक मिलि मर्करी
हाइपोटेंशन	< 90	< 60
सामान्य	90-119	60-79
प्रीहाइपरटेंशन	120-139	80-89
स्तर 1 हाइपरटेंशन	140-149	90-99
स्तर 2 हाइपरटेंशन	> 160	> 100

जैसे कि 120 / 80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायास्टोलिक रक्तचाप अर्थात् नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है बनिस्पत जब वह शिथिल होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलिमीटर के बीच होता है। सामान्य डायास्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मि.मि. के बीच होता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120 / 80 होना चाहिए।

निम्न रक्तचाप : निम्न रक्तचाप वह दाब है जिससे धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, जिससे ये इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती और इससे यह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप के विपरीत, निम्न रक्तचाप की पहचान मूलतः लक्षण और संकेत से होती है, ना कि विशिष्ट दाब संख्या के कारण। किसी–किसी का रक्तचाप 90 / 50 होता है लेकिन उसमें निम्न रक्त चाप के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं और इसलिए उन्हें निम्न रक्तचाप नहीं होता। तथापि ऐसे व्यक्तियों में जिनका रक्तचाप उच्च है और उनका रक्तचाप यदि 100 / 60 तक गिर जाता है तो उनमें निम्न रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

यदि किसी को निम्न रक्तचाप के कारण चक्कर आता हो या मितली आती हो या खड़े होने पर बेहोश होकर गिर पड़ता हो तो उसे आर्थोस्टेटिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। खड़े होने पर निम्न दाब के कारण होने वाले प्रभाव को सामान्य व्यक्ति शीघ्र ही काबू में कर लेता है। लेकिन जब पर्याप्त रक्तचाप के कारण चक्रीय धमनी में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। जब गुर्दों में अपर्याप्त मात्रा में खून की आपूर्ति होती है तो गुर्दे शरीर से यूरिया और क्रिएटाइन जैसे अपशिष्टों को निकाल नहीं पाते जिससे रक्त में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है।

उच्च रक्तचाप : 130 / 80 से ऊपर का रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहलाता है। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च चाप है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। भावनात्मक तनाव व दबाव अस्थायी तौर पर रक्त के दाब को बढ़ा देते हैं। सामान्यतः रक्तचाप 120 / 80 से कम होना चाहिए और 120 / 80 तथा 139 / 89 के बीच का रक्त का दबाव प्रारंभिक उच्च रक्तचाप कहलाता है और 140 / 90 या उससे अधिक का रक्तचाप उच्च समझा जाता है। उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, धमनियों के सख्त हो जाने, आंखें खराब होने और मस्तिष्क खराब होने का जोखिम बढ़ जाता है। युवाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या का मुख्य कारण उनकी अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान होते हैं। यदि चक्कर आए, सिरदर्द हो, सांस में तकलीफ हो, नींद न आए, शीथिलता रहे, कम मेहनत करने पर सांस फूले और नाक से खून गिरने इत्यादि की परेशानी हो, तो चिकित्सक से तुरंत जांच करायें, संभव है ये उच्च रक्तचाप के कारण हों। उच्च रक्तचाप के कारणों में निम्न कारक शामिल हैं–

- चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि मानसिक विकार
- कई बार, बार–बार या आवश्यकता से अधिक खाना।
- मैदा से बने खाद्य, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाईयां, मांस, चाय, सिगरेट व शराब आदि का सेवन।
- नियमित खाने में रेशे, कच्चे फल और सलाद आदि का अभाव।
- आलस्यपूर्ण या श्रमहीन जीवन, व्यायाम का अभाव।
- पेट और पेशाब संबंधी पुरानी बीमारी।

रक्तचाप का पूर्व वर्णित वर्गीकरण, वयस्कों (18 वर्ष से अधिक) हेतु बताया जाता है। यह बैठे हुए लोगों की सही तरीके से ली गयी

मोबाईलः सुविधा या असुविधा

- स्तुति रूखा, सहायक प्रबंधक

आज के दौर में यदि कोई सबसे आश्चर्यजनक एवं आकर्षक यंत्र है, तो वह है मोबाईल फोन। आज मोबाईल फोन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता एक सबसे बड़ा एवं आश्चर्यजनक तथ्य है। यदि एक रिपोर्ट की मानें तो हर मिनट एक हजार नए उपभोक्ता जुड़ते हैं, मोबाईल फोन की सुविधा से। भारतवर्ष में भी इन उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या दर काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया में हर महीने लगभग 80 लाख लोग इस मोबाईल नेटवर्क की दुनिया से जुड़ जाते हैं।

मोबाईल फोन अब सामाजिक समृद्धि का प्रतीक ही नहीं रह गया, बल्कि यह आज की अनिवार्य जरूरत भी बन गया है यह सर्वविद्यमान उपकरण जाति, धर्म, लिंग एवं हर आय वर्ग की सीमा को लांघते हुए समाज के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जा चुका है। आज चाहे सब्जी वाला हो या दिहाड़ी मजदूर, ऑफिस का चपरासी हो या उसका चेयरमैन, कोई मंत्री हो या संत्री, नेता हो या किसान, सभी के हाथ में इस यंत्र को देखा जा सकता है।

कुछेक लोगों के लिए मोबाईल फोन के बिना जीवन की कल्पना भी बेमानी सी लगती है। बस या ट्रेन में आज मोबाईल पर हो रहे विभिन्न वार्तालापों से चाहकर भी आप स्वयं को परे नहीं रख सकते। रिंगिंग टोन के भी विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं, कई टोन तो अत्यंत ही विचित्र प्रकार के होते हैं जैसे– हंसते हुए बच्चे की किलकारी, कूक मारती कोयल की आवाज, यहां तक कि बच्चे की सू–सू या झरने की कल–कल ध्वनि या फिर लोकप्रिय फिल्मी गानों की धुन या फिर भयानक टायरों की रगड़ती ब्रेक की आवाज आदि इस प्रकार के टोन ऑफिस में आपकी एकाग्रता को भंग करते हुए, आपके कानों को बींध देते हैं।

कुछ मोबाईल उपभोक्ता 'समय ही धन' है कि कहावत को पूर्णतया सार्थक करते हुए, मोबाईल को अपनी आय का स्रोत बनाते हैं मेरी मुलाकात एक ऐसे ही चिकित्सक से हुई जो इस कहावत में पूर्णतया विश्वास करते थे। अपने ही एक रोगी का निरीक्षण करते हुए डॉ. साहब के फोन की घंटी बज उठी। वे डाक्टर महोदय रोगी से बिना एक शब्द बोले हुए अपने मोबाईल पर किसी दूसरे रोगी को मशवरा देने में मशगूल हो गए और उधर वह बेचारा रोगी (जिन्हें चिकित्सक महोदय बिना कुछ कहे, छोड़कर चले गए थे) एक घंटे से रोगी शैय्या पर लेटे हुए प्रतीक्षारत था। इसी प्रकार अनचाहे मैसेज, सेल्स गर्ल की अनचाही कालें आम आदमी के जीवन को बाधित करती हैं।

कई बार लोग मोबाईल पर बातचीत में इतने लीन होते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि वह किस परिवेश में और कहां हैं। उनके आस–पास कोई उपस्थित है या नहीं। पूरी दुनिया से स्वयं को अलग रखकर दूसरों की शांति में बाधा डालते हुए लोग कई बार आपको दिख सकते हैं। कई बार तो लोग अपने हाथ पांव हिलाकर ईयर फोन से बातों में इतने मशगूल होते हैं कि दूर से लोग उन्हें देखकर पागल समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वह इशारे उन्हें ही किए जा रहे हैं। हांलाकि कई स्थानों पर मोबाईल फोन के उपयोग की मनाही है, जैसे बैंक, चिकित्सालय, धार्मिक स्थलों एवं अन्य कई ऐसी जगहें। किंतु लोग इस नियम का पालन करने की बजाय उल्लंघन करते ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बार तो एक मौलवी जी ने घोषणा कर दी कि भाइयों जल्द ही कयामत आने वाली है; क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था जिस दिन लोग अपने आप से बातें करने लगे और औरत पर्दा त्याग कर काम पर निकल जाएगी तो फिर कयामत को आने से कोई नहीं रोक सकता। मौलवी जी की बातों में कितना दम है यह तो वहीं जाने, पर हां नमाज के दौरान बजता मोबाइल नमाज में खलल जरूर डालता है। छात्रों के लिए जितना उपयोगी है, उससे अधिक बाधक भी है।

मोबाईल फोन से उत्पन्न हो रहे विकिरण एवं उनसे संबंधित रोग भी आजकल चिंता का एक विषय है। पश्चिम के कई देशों में यह नियम है कि मोबाईल फोन के विज्ञापन देते हुए इस बात पर जोर दिया

जाए कि यह बच्चों पर केन्द्रित नहीं हों एवं वे उसके "टार्गेट ग्रुप" नहीं हैं। इस प्रकार का कोई भी नियम विज्ञापन हेतु हमारे देश में नहीं है। हाल ही में एक अध्ययन आया है कि मोबाईल के टावरों से निकलने वाले विकिरण की वजह से गौरेया जैसे छोटे पक्षी लुप्त हो रहे हैं। यह बात सच भी लगती है; क्योंकि शहरों में छोटे–पक्षियों की

आज के दौर में यदि कोई सबसे आश्चर्यजनक एवं आकर्षक यंत्र है, तो वह है मोबाईल फोन। आज मोबाईल फोन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता एक सबसे बड़ा एवं आश्चर्यजनक तथ्य है। यदि एक रिपोर्ट की मानें तो हर मिनट एक हजार नए उपभोक्ता जुड़ते हैं, मोबाईल फोन की सुविधा से। भारतवर्ष में भी इन उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या दर काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया में हर महीने लगभग 80 लाख लोग इस मोबाईल नेटवर्क की दुनिया से जुड़ जाते हैं।

मोबाईल फोन अब सामाजिक समृद्धि का प्रतीक ही नहीं रह गया, बल्कि यह आज की अनिवार्य जरूरत भी बन गया है यह सर्वविद्यमान उपकरण जाति, धर्म, लिंग एवं हर आय वर्ग की सीमा को लांघते हुए समाज के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जा चुका है। आज चाहे सब्जी वाला हो या दिहाड़ी मजदूर, ऑफिस का चपरासी हो या उसका चेयरमैन, कोई मंत्री हो या संत्री, नेता हो या किसान, सभी के हाथ में इस यंत्र को देखा जा सकता है।

कुछेक लोगों के लिए मोबाईल फोन के बिना जीवन की कल्पना भी

बेमानी सी लगती है। बस या ट्रेन में आज मोबाईल पर हो रहे विभिन्न वार्तालापों से चाहकर भी आप स्वयं को परे नहीं रख सकते। रिंगिंग टोन के भी विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध होते हैं, कई टोन तो अत्यंत ही विचित्र प्रकार के होते हैं जैसे– हंसते हुए बच्चे की किलकारी, कूक मारती कोयल की आवाज, यहां तक कि बच्चे की सू–सू या झरने की कल–कल ध्वनि या फिर लोकप्रिय फिल्मी गानों की धुन या फिर भयानक टायरों की रगड़ती ब्रेक की आवाज आदि इस प्रकार के टोन ऑफिस में आपकी एकाग्रता को भंग करते हुए, आपके कानों को बींध देते हैं।

कुछ मोबाईल उपभोक्ता 'समय ही धन' है कि कहावत को पूर्णतया सार्थक करते हुए, मोबाईल को अपनी आय का स्रोत बनाते हैं मेरी मुलाकात एक ऐसे ही चिकित्सक से हुई जो इस कहावत में पूर्णतया विश्वास करते थे। अपने ही एक रोगी का निरीक्षण करते हुए डॉ. साहब के फोन की घंटी बज उठी। वे डाक्टर महोदय रोगी से बिना एक शब्द बोले हुए अपने मोबाईल पर किसी दूसरे रोगी को मशवरा देने में मशगूल हो गए और उधर वह बेचारा रोगी (जिन्हें चिकित्सक महोदय बिना कुछ कहे, छोड़कर चले गए थे) एक घंटे से रोगी शैय्या पर लेटे हुए प्रतीक्षारत था। इसी प्रकार अनचाहे मैसेज, सेल्स गर्ल की अनचाही कालें आम आदमी के जीवन को बाधित करती हैं।

कई बार लोग मोबाईल पर बातचीत में इतने लीन होते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि वह किस परिवेश में और कहां हैं। उनके आस–पास कोई उपस्थित है या नहीं। पूरी दुनिया से स्वयं को अलग रखकर दूसरों की शांति में बाधा डालते हुए लोग कई बार आपको दिख सकते हैं। कई बार तो लोग अपने हाथ पांव हिलाकर ईयर फोन से बातों में इतने मशगूल होते हैं कि दूर से लोग उन्हें देखकर पागल समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वह इशारे उन्हें ही किए जा रहे हैं। हालांकि कई स्थानों पर मोबाईल फोन के उपयोग की मनाही है, जैसे बैंक, चिकित्सालय, धार्मिक स्थलों एवं अन्य कई ऐसी जगहें। किंतु लोग इस नियम का पालन करने की बजाय उल्लंघन करते ज्यादा दिखाई देते हैं। एक बार तो एक मौलवी जी ने घोषणा कर दी कि भाइयों जल्द ही कयामत आने वाली है; क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था जिस दिन लोग अपने आप से बातें करने लगे और औरत पर्दा त्याग कर काम पर निकल जाएगी तो फिर कयामत को आने से कोई नहीं रोक सकता। मौलवी जी की बातों में कितना दम है यह तो वही जाने, पर हां नमाज के दौरान बजता मोबाइल नमाज में खलल जरूर डालता है। छात्रों के लिए जितना उपयोगी है, उससे अधिक बाधक भी है।

मोबाईल फोन से उत्पन्न हो रहे विकिरण एवं उनसे संबंधित रोग भी आजकल चिंता का एक विषय है। पश्चिम के कई देशों में यह नियम है कि मोबाईल फोन के विज्ञापन देते हुए इस बात पर जोर दिया जाए कि यह बच्चों पर केन्द्रित नहीं हों एवं वे उसके "टार्गेट ग्रुप" नहीं हैं। इस प्रकार का कोई भी नियम विज्ञापन हेतु हमारे देश में नहीं है। हाल ही में एक अध्ययन आया है कि मोबाईल के टावरों से निकलने वाले विकिरण की वजह से गौरैया जैसे छोटे पक्षी लुप्त हो रहे हैं। यह बात सच भी लगती है; क्योंकि शहरों में छोटे–पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है।

यातायात नियमों की मानें तो इस उपकरण का उपयोग वाहन चलाते हुए वर्जित है। लेकिन आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कितने लोग इसका पालन करते हैं एवं कितने लोग इसका उल्लंघन। हो सकता है हमने आपने भी इस नियम की अवहेलना की हो। इस अवहेलना के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। हर रोज समाचार चैनलों/अखबारों में यह समाचार आते हैं कि अमुक इलाके में फलां व्यक्ति रेलवे क्रासिंग या सड़क पार करते हुए रेल या बस के नीचे आ गया क्योंकि उसके कान में ईयर फोन था और वह बातचीत में मशगूल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, यदि कोई अध्ययन यह बताए कि सड़क पार करते समय मरने वालों में 50 प्रतिशत लोग मोबाईल में बातें करते हुए या गाना सुनते हुए मरे थे। आजकल लोग अक्सर गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाईल पर बात करते

आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा

- डी.एन.सोमदेवे, सहा. महाप्रबंधक

आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का विस्तार है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। 'आयुर्वेद' नाम का अर्थ है, 'जीवन का ज्ञान' और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। यह चिकित्सा प्रणाली केवल रोगोपचार के नुस्खे ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि रोगों की रोकथाम के उपायों के विषय में भी विस्तार से चर्चा करती है। चरक ने संक्षेप में रोग और आरोग्य का लक्षण यह लिखा है "वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का सम मात्रा (उचित प्रमाण) में होना ही आरोग्य और इनमें विषमता होना ही रोग है।"

स्वास्थ्य रक्षा के साधन: अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश, काल आदि का विचार करना, नियमित आहार–विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना, संकटमय कार्यों से बचना, प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना, मन और इंद्रिय को नियंत्रित रखना, देश, काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि की शक्ति और अशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, मल, मूत्र, आदि के वेगों को न रोकना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों में चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना, स्वच्छ और विशुद्ध जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये स्वास्थ्य रक्षा के साधन हैं।

आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए 'आयु' और 'वेद' इन दो शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक है। आयुर्वेद के आचार्यों ने 'शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग' को आयु कहा है। अर्थात् जब तक इन चारों संपत्ति (सादगुण्य) या विपत्ति (वैगुण्य) के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभावभेद से इसे चार प्रकार का माना गया है:

(1) सुखायु: किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकार से रहित होते हुए, ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरूष, धन धान्य, यश, परिजन आदि साधनों से समृद्ध व्यक्ति को "सुखायु' कहते हैं।

(2) दुखायु: इसके विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी, शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा निरोग होते हुए भी साधनहीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से हीन व्यक्ति को "दु:खायु' कहते हैं।

(3) हितायु: स्वास्थ्य और साधनों से संपन्न होते हुए या उनमें कुछ कमी होने पर भी जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि आदि गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरत रहते हैं, उन्हें हितायु कहते हैं।

(4) अहितायु: इसके विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि दुर्गुणों से युक्त और समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं।

इस प्रकार हित, अहित, सुख और दु:ख, आयु के ये चार भेद हैं। इसी प्रकार कालप्रमाण के अनुसार भी दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु, संक्षेप में ये तीन भेद होते हैं। वैसे इन तीनों में भी अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद (फैट), अस्थि, मज्जा (बोन मैरो) और शुक्र (सीमेन), ये सात धातुएं हैं। नित्यप्रति स्वभावत: विविध कार्यों में उपयोग होने से इनका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते रहते हैं उनसे न केवल इस क्षति की पूर्ति होती है, वरन धातुओं की पुष्टि भी होती रहती है।

पाचनक्रिया में आहार का जो सार भाग होता है उससे रस धातु का पोषण होता है और जो किट्ट भाग बचता है उससे मल (विष्ठा) और मूत्र बनता है। यह रस हृदय से होता हुआ शिराओं द्वारा सारे शरीर में पहुंचकर प्रत्येक धातु और अंग को पोषण प्रदान करता है। धात्वग्नियों से पाचन होने पर रस आदि धातु के सार भाग से रक्त आदि धातुओं एवं शरीर का भी पोषण होता है तथा किट्ट भाग से मलों की उत्पत्ति होती है, जैसे रस से कफ; रक्त पित्त; मांस से नाक, कान और नेत्र आदि के द्वारा बाहर आने वाले मल; मेद से स्वेद (पसीना); अस्थि से केश तथा लोम (सिर, दाढ़ी और मूंछ आदि के

बाल) और मज्जा से आंख का कीचड़ मलरूप में बनते हैं। शुक्र में कोई मल नहीं होता, उसके सारे भाग से ओज (बल) की उत्पत्ति होती है।

संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु और मल पांचभौतिक हैं। परिणामत: शरीर के समस्त अवयव और अंतत: सारा शरीर पांचभौतिक है। ये सभी अचेतन हैं। जब इनमें आत्मा का संयोग होता है तब उसकी चेतनता भी आती है।

उचित परिस्थिति में शुद्ध रज और शुद्ध वीर्य का संयोग होने और उसमें आत्मा का संचार होने से माता के गर्भाशय में शरीर का आरंभ होता है। इसे ही गर्भ कहते हैं। माता के आहारजनिक रक्त से अपरा (प्लैसेंटा) और

आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का विस्तार है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। 'आयुर्वेद' नाम का अर्थ है, 'जीवन का ज्ञान' और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। यह चिकित्सा प्रणाली केवल रोगोपचार के नुस्खे ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि रोगों की रोकथाम के उपायों के विषय में भी विस्तार से चर्चा करती है। चरक ने संक्षेप में रोग और आरोग्य का लक्षण यह लिखा है "वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का सम मात्रा (उचित प्रमाण) में होना ही आरोग्य और इनमें विषमता होना ही रोग है।"

स्वास्थ्य रक्षा के साधन: अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश, काल आदि का विचार करना, नियमित आहार–विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना, संकटमय कार्यों से बचना, प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना, मन और इंद्रिय को नियंत्रित रखना, देश, काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि की शक्ति और अशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, मल, मूत्र, आदि के वेगों को न रोकना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों में चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना, स्वच्छ और विशुद्ध जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये स्वास्थ्य रक्षा के साधन हैं।

आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए 'आयु' और 'वेद' इन दो शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक है। आयुर्वेद के आचार्यों ने 'शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग' को आयु कहा है। अर्थात् जब तक इन चारों संपत्ति (सादगुण्य) या विपत्ति (वैगुण्य) के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभावभेद से इसे चार प्रकार का माना गया है:

(1) सुखायु: किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकार से रहित होते हुए, ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरुष, धन धान्य, यश, परिजन आदि साधनों से समृद्ध व्यक्ति को 'सुखायु' कहते हैं।

(2) दुखायु: इसके विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी, शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा निरोग होते हुए भी साधनहीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से हीन व्यक्ति को "दुखायु" कहते हैं।

(3) हितायु: स्वास्थ्य और साधनों से संपन्न होते हुए या उनमें कुछ कमी होने पर भी जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि आदि गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरत रहते हैं, उन्हें हितायु कहते हैं।

(4) अहितायु: इसके विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि दुर्गुणों से युक्त और समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं।

इस प्रकार हित, अहित, सुख और दुःख, आयु के ये चार भेद हैं। इसी प्रकार कालप्रमाण के अनुसार भी दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु, संक्षेप में ये तीन भेद होते हैं। वैसे इन तीनों में भी अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद (फैट), अस्थि, मज्जा (बोन मैरो) और शुक्र (सीमेन), ये सात धातुएं हैं। नित्यप्रति स्वभावतः विविध कार्यों में उपयोग होने से इनका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते रहते हैं उनसे न केवल इस क्षति की पूर्ति होती है, वरन धातुओं की पुष्टि भी होती रहती है।
पाचनक्रिया में आहार का जो सार भाग होता है उससे रस धातु का पोषण होता है और जो किट्ट भाग बचता है उससे मल (विष्ठा) और मूत्र बनता है। यह रस हृदय से होता हुआ शिराओं द्वारा सारे शरीर में पहुंचकर प्रत्येक धातु और अंग को पोषण प्रदान करता है। धात्वग्नियों से पाचन होने पर रस आदि धातु के सार भाग से रक्त आदि धातुओं एवं शरीर का भी पोषण होता है तथा किट्ट भाग से मलों की उत्पत्ति होती है, जैसे रस से कफ; रक्त पित्त; मांस से नाक, कान और नेत्र आदि के द्वारा बाहर आने वाले मल; मेद से स्वेद (पसीना); अस्थि से केश तथा लोम (सिर, दाढ़ी और मूंछ आदि के बाल) और मज्जा से आंख का कीचड़ मलरूप में बनते हैं। शुक्र में कोई मल नहीं होता, उसके सारे भाग से ओज (बल) की उत्पत्ति होती है।
संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु और मल पांचभौतिक हैं। परिणामतः शरीर के समस्त अवयव और अंततः सारा शरीर पांचभौतिक है। ये सभी अचेतन हैं। जब इनमें आत्मा का संयोग होता है तब उसकी चेतनता भी आती है।
उचित परिस्थिति में शुद्ध रज और शुद्ध वीर्य का संयोग होने और उसमें आत्मा का संचार होने से माता के गर्भाशय में शरीर का आरंभ होता है। इसे ही गर्भ कहते हैं। माता के आहारजनित रक्त से अपरा (प्लैसेंटा) और गर्भनाड़ी के द्वारा, जो नाभि से लगी रहती है, गर्भ पोषण प्राप्त करता है। यह गर्भोदक में निमग्न रहकर उपस्नेहन द्वारा भी पोषण प्राप्त करता है तथा प्रथम मास में कलल (जेली) और द्वितीय में घन होता है। तीसरे मास में अंग प्रत्यंग का विकास आरंभ होता है। चौथे मास में उसमें अधिक स्थिरता आ जाती है तथा गर्भ के लक्षण माता में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार यह माता की कुक्षि (गर्भाशय) में उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ जब संपूर्ण अंग, प्रत्यंग और अवयवों से युक्त हो जाता है, तब प्रायः नवें मास में कुक्षि से निकलता हुआ योनि मार्ग से बाहर आकर नवीन प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करता है।

आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह अथर्ववेद का विस्तार है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। 'आयुर्वेद' नाम का अर्थ है, 'जीवन का ज्ञान' और यही संक्षेप में आयुर्वेद का सार है। यह चिकित्सा प्रणाली केवल रोगोपचार के नुस्खे ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि रोगों की रोकथाम के उपायों के विषय में भी विस्तार से चर्चा करती है। चरक ने संक्षेप में रोग और आरोग्य का लक्षण यह लिखा है "वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का सम मात्रा (उचित प्रमाण) में होना ही आरोग्य और इनमें विषमता होना ही रोग है।"

स्वास्थ्य रक्षा के साधन: अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश, काल आदि का विचार करना, नियमित आहार–विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना, संकटमय कार्यों से बचना, प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना, मन और इंद्रिय को नियंत्रित रखना, देश, काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि की शक्ति और अशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, मल, मूत्र, आदि के वेगों को न रोकना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों में चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना, स्वच्छ और विशुद्ध जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये स्वास्थ्य रक्षा के साधन हैं।

आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए 'आयु' और 'वेद' इन दो शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक है। आयुर्वेद के आचार्यों ने 'शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग' को आयु कहा है। अर्थात् जब तक इन चारों संपत्ति (सादगुण्य) या विपत्ति (वैगुण्य) के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभावभेद से इसे चार प्रकार का माना गया है:

(1) सुखायु: किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकार से रहित होते हुए, ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरुष, धन धान्य, यश, परिजन आदि साधनों से समृद्ध व्यक्ति को "सुखायु" कहते हैं।

(2) दुखायु: इसके विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी, शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा निरोग होते हुए भी साधनहीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से हीन व्यक्ति को "दुःखायु" कहते हैं।

(3) हितायु: स्वास्थ्य और साधनों से संपन्न होते हुए या उनमें कुछ कमी होने पर भी जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि आदि गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरत रहते हैं, उन्हें हितायु कहते हैं।

(4) अहितायु: इसके विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि दुर्गुणों से युक्त और समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं।

इस प्रकार हित, अहित, सुख और दुःख, आयु के ये चार भेद हैं। इसी प्रकार कालप्रमाण के अनुसार भी दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु, संक्षेप में ये तीन भेद होते हैं। वैसे इन तीनों में भी अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद (फैट), अस्थि, मज्जा (बोन मैरो) और शुक्र (सीमेन), ये सात धातुएं हैं। नित्यप्रति स्वभावतः विविध कार्यों में उपयोग होने से इनका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते रहते हैं उनसे न केवल इस क्षति की पूर्ति होती है, वरन धातुओं की पुष्टि भी होती रहती है।

पाचनक्रिया में आहार का जो सार भाग होता है उससे रस धातु का पोषण होता है और जो किट्ट भाग बचता है उससे मल (विष्ठा) और मूत्र बनता है। यह रस हृदय से होता हुआ शिराओं द्वारा सारे शरीर में पहुंचकर प्रत्येक धातु और अंग को पोषण प्रदान करता है। धात्वग्नियों से पाचन होने पर रस आदि धातु के सार भाग से रक्त आदि धातुओं एवं शरीर का भी पोषण होता है तथा किट्ट भाग से मलों की उत्पत्ति होती है, जैसे रस से कफ, रक्त पित्त, मांस से नाक, कान और नेत्र आदि के द्वारा बाहर आने वाले मल, मेद से स्वेद (पसीना), अस्थि से केश तथा लोम (सिर, दाढ़ी और मूंछ आदि के बाल) और मज्जा से आंख का कीचड़ मलरूप में बनते हैं। शुक्र में कोई मल नहीं होता, उसके सारे भाग से ओज (बल) की उत्पत्ति होती है।

संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु और मल पांचभौतिक हैं। परिणामतः शरीर के समस्त अवयव और अंततः सारा शरीर पांचभौतिक है। ये सभी अचेतन हैं। जब इनमें आत्मा का संयोग होता है तब उसकी चेतनता भी आती है।

उचित परिस्थिति में शुद्ध रज और शुद्ध वीर्य का संयोग होने और उसमें आत्मा का संचार होने से माता के गर्भाशय में शरीर का आरंभ होता है। इसे ही गर्भ कहते हैं। माता के आहारजनित रक्त से अपरा (प्लेसेंटा) और गर्भनाड़ी के द्वारा, जो नाभि से लगी रहती है, गर्भ पोषण प्राप्त करता है। यह गर्भोदक में निमग्न रहकर उपस्नेहन द्वारा भी पोषण प्राप्त करता है तथा प्रथम मास में कलल (जेली) और द्वितीय में घन होता है। तीसरे मास में अंग प्रत्यंग का विकास आरंभ होता है। चौथे मास में उसमें अधिक स्थिरता आ जाती है तथा गर्भ के लक्षण माता में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार यह माता की कुक्षि (गर्भाशय) में उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ जब संपूर्ण अंग, प्रत्यंग और अवयवों से युक्त हो जाता है, तब प्रायः नवें मास में कुक्षि से निकलता हुआ योनि मार्ग से बाहर आकर नवीन प्राणी के रूप में जन्म ग्रहण करता है।

रोगों के कारण

जब किसी आहार या विहार से शरीर पर रोग का प्रादुर्भाव हो तब उसे लक्षण कहते हैं। संसार की सभी वस्तुएं साक्षात या परंपरा से शरीर, इंद्रियों और मन पर किसी न किसी प्रकार का निश्चित प्रभाव डालती हैं और अनुचित या प्रतिकूल प्रभाव से इनमें विकार उत्पन्न कर रोगों का कारण होती हैं। इन्हें संक्षेप में निम्नानुसार बताया गया है–

ज्ञान विकार: अविवेक (धीभ्रंश), अधीरता (धृतिभ्रंश) तथा पूर्व अनुभव और वास्तविकता की उपेक्षा (स्मृतिभ्रंश) के कारण लाभ हानि का विचार किए बिना ही किसी विषय का सेवन या जानते हुए भी अनुचित वस्तु का सेवन करना। इसी को दूसरे और स्पष्ट शब्दों में कर्म (शारीरिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं) का हीन, मिथ्या और अति योग भी कहते हैं।

इंद्रिय विकार: नेत्र आदि इंद्रियों का अपने अपने रूप आदि विषयों के साथ असात्म्य (प्रतिकूल, हीन, मिथ्या और अति) संयोग इंद्रियों, शरीर और मन

यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक का दायरा

- सुश्री शिल्पी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्युटर मीडिया

हमारा संविधान बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्रदान करते हुए संरक्षण प्रदान करता है। इसी कारण प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत समय–समय पर विभिन्न कानून व अधिनियम बनाए जाते हैं। अपने देश के नागरिकों का जीवन उनके अधिकारों का हनन किए बिना सुख, सम्मान व स्वाभिमान से बीते। हम यहां ऐसे ही एक अधिनियम की बात करते हैं।

पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने ''कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक, 2010'' की एक जांच रिपोर्ट संसद में पेश की है, इस जांच रिपोर्ट की दो प्रमुख सिफारिशें गौरतलब हैं। एक विधेयक के दायरे में घरेलू कामगारों को भी लाने की सिफारिश और दूसरे, पुरूषों को भी यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण की सिफारिश। गौरतलब है कि प्रस्तावित विधेयक के दायरे में घरों में काम करने वाले लाखों घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि घरेलू कामगारों को जान–बूझकर प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है; क्योंकि घर के भीतर कानून लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें हैं। कारण, घरों के भीतर कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके अलावा अब तक घरेलू कामगारों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसमें उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात निर्धारित की गई हो।

यदि भारत की स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो काम की जगहों पर शारीरिक प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न के मामले ज्यादा होते हैं। यह काम की जगह चाहे कोई ऑफिस, कारखाना हो या फिर घरों में साफ–सफाई, झाड़–पोंछ, कपड़े–बर्तन धोने का काम करने वाले घरेलू कामगार हों। वास्तव में लोगों के घरों में काम करने वाले लड़कों/लड़कियों एवं औरतों को यौन उत्पीड़न के मामले अधिक झेलने पड़ते हैं; क्योंकि यहां पर न सिर्फ उन घरों के पुरूष होते हैं, बल्कि महिलाएं भी हिंसा का सहारा लेती हैं। इसके अलावा घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर व माली आदि भी घर में काम करने वाली नौकरानियों पर होने वाले यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होते हैं। समिति का मानना है कि वास्तव में घरेलू कार्य अधिक विनियमित क्षेत्र नहीं है और चिंता की बात यह है कि इस कानून का सहारा लेने वाले घरेलू कामगारों के पीड़ित होने के आशंका बनी रहेगी।

लेकिन समिति मंत्रालय की इस दलील से सहमत नहीं है कि घर के भीतर कोई आचार संहिता न होने की स्थिति में इसे लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें होंगी। संसदीय समिति का मानना है कि किसी घर की निजता को महिला श्रमशक्ति के विरूद्ध अनुचित कार्य को ढकने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समिति का विचार है कि घरेलू कामगारों को प्रस्तावित कानून में शामिल करने को संभव बनाने के लिए नवाचारी सोच की जरूरत है। घर की चारदीवारी के भीतर घरेलू कामगारों के यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई करने के तरीके खोजे जा सकते हैं। साथ ही, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन से हासिल अनुभवों को भी यौन उत्पीड़न के मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है भारत एक संक्रांति काल के दौर से गुजर रहा है जिसमें पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। औरतों का काम के लिए भी घर से बाहर निकालना पुरानी परम्पराओं को तोड़ रहा है और काम पर जाने वाली औरतों को अपराधी प्रवृत्ति के लोग आसान शिकार मानते हैं।

काम–काजी औरतों के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण सोच में धीरे–धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इस सोच को बदलने में अभी भी कई दशक लग जाएंगे। इसका मुख्य कारण विविधता पूर्ण समाज, जाति एवं धार्मिक वर्ग, असमान शिक्षा व्यवस्था और यहां तक कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी पुरूष वर्ग एवं सबल वर्ग एवं सबल जाति वर्ग को प्राथमिकता देती है। अभी भी इस देश में धार्मिक कट्टरपंथियों, संतों, मुल्ले–मौलवी वर्ग के फरमान औरतों की बजाय पुरुष वर्ग के पक्ष में होते हैं। इसी कारण आजादी के 65 वर्ष बाद भी समाज में वह समरूपता नहीं आई, जिसके सभी हकदार हैं।

कई अध्ययन बताते हैं कि घरेलू काम–काजी महिलाएं यौन उत्पीड़न के निशाने पर अधिक हैं। ये दफ्तरों, कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की तुलना में बहुत कम पढ़ी–लिखी होती हैं। इनके आत्मविश्वास का स्तर भी बहुत कम होता है। असंगठित क्षेत्र में घरेलू कामगारों में करीब 30 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। प्रस्तावित विधेयक में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया कि भारत सरकार ने आईएलओ कंवेशन 189 ''फॉर डीसेंट वर्क फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स'' के पक्ष में मत दिया है और इसने घर को भी कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी है। यह कहना ज्यादा न्यायसंगत होगा कि कामकाजी महिला होने के नाते, इनको भी प्रस्तावित विधेयक में यह कानूनी हक मिलना चाहिए था, लेकिन महिला व बाल विकास मंत्रालय ने इसे अव्यावाहिरक बताते हुए ऐसा नहीं किया।

यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो सरकारी विभाग ऐसे लोगों के हक के लिए बनाया गया है जब वही पीछे हटे तो किसका भरोसा किया जाए। यहां पर तो यह कहावत फिट बैठती है कि ''खेत की रखवाली करने वाली बाड़ ही खेत को खा रही है।'' जब ऐसी स्थिति हो तो भारत के आम नागरिक को कौन सहारा देगा या वह किस पर भरोसा करें।

हमारा संविधान बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार प्रदान करते हुए संरक्षण प्रदान करता है। इसी कारण प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत समय–समय पर विभिन्न कानून व अधिनियम बनाए जाते हैं। अपने देश के नागरिकों का जीवन उनके अधिकारों का हनन किए बिना सुख, सम्मान व स्वाभिमान से बीते। हम यहां ऐसे ही एक अधिनियम की बात करते हैं।

पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी

समिति ने "कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक, 2010" की एक जांच रिपोर्ट संसद में पेश की है, इस जांच रिपोर्ट की दो प्रमुख सिफारिशें गौरतलब हैं। एक विधेयक के दायरे में घरेलू कामगारों को भी लाने की सिफारिश और दूसरे, पुरूषों को भी यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण की सिफारिश। गौरतलब है कि प्रस्तावित विधेयक के दायरे में घरों में काम करने वाले लाखों घरेलू कामगार शामिल नहीं हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि घरेलू कामगारों को जान–बूझकर प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है; क्योंकि घर के भीतर कानून लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें हैं। कारण, घरों के भीतर कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके अलावा अब तक घरेलू कामगारों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसमें उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात निर्धारित की गई हो।

यदि भारत की स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो काम की जगहों पर शारीरिक प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न के मामले ज्यादा होते हैं। यह काम की जगह चाहे कोई ऑफिस, कारखाना हो या फिर घरों में साफ–सफाई, झाड़–पोंछ, कपड़े–बर्तन धोने का काम करने वाले घरेलू कामगार हों। वास्तव में लोगों के घरों में काम करने वाले लड़कों/लड़कियों एवं औरतों को यौन उत्पीड़न के मामले अधिक झेलने पड़ते हैं; क्योंकि यहां पर न सिर्फ उन घरों के पुरूष होते हैं, बल्कि महिलाएं भी हिंसा का सहारा लेती हैं। इसके अलावा घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर व माली आदि भी घर में काम करने वाली नौकरानियों पर होने वाले यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होते हैं। समिति का मानना है कि वास्तव में घरेलू कार्य अधिक विनियमित क्षेत्र नहीं है और चिंता की बात यह है कि इस कानून का सहारा लेने वाले घरेलू कामगारों के पीड़ित होने के आशंका बनी रहेगी।

लेकिन समिति मंत्रालय की इस दलील से सहमत नहीं है कि घर के भीतर कोई आचार संहिता न होने की स्थिति में इसे लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें होंगी। संसदीय समिति का मानना है कि किसी घर की निजता को महिला श्रमशक्ति के विरूद्ध अनुचित कार्य को ढकने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समिति का विचार है कि घरेलू कामगारों को प्रस्तावित कानून में शामिल करने को संभव बनाने के लिए नवाचारी सोच की जरूरत है। घर की चारदीवारी के भीतर घरेलू कामगारों के यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई करने के तरीके खोजे जा सकते हैं। साथ ही, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन से हासिल अनुभवों को भी यौन उत्पीड़न के मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है भारत एक संक्रांति काल के दौर से गुजर रहा है जिसमें पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। औरतों का काम के लिए भी घर से बाहर निकालना पुरानी परम्पराओं को तोड़ रहा है और काम पर जाने वाली औरतों को अपराधी प्रवृत्ति के लोग आसान शिकार मानते हैं।

काम–काजी औरतों के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण सोच में धीरे–धीरे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इस सोच को बदलने में अभी भी कई दशक लग जाएंगे। इसका मुख्य कारण विविधता पूर्ण समाज, जाति एवं धार्मिक वर्ग, असमान शिक्षा व्यवस्था और यहां तक कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी पुरुष वर्ग एवं सबल वर्ग एवं सबल जाति वर्ग को प्राथमिकता देती है। अभी भी इस देश में धार्मिक कट्टरपंथियों, संतों, मुल्ले–मौलवी वर्ग के फरमान औरतों की बजाय पुरुष वर्ग के पक्ष में होते हैं। इसी कारण आजादी के 65 वर्ष बाद भी समाज में वह समरूपता नहीं आई, जिसके सभी हकदार हैं।

कई अध्ययन बताते हैं कि घरेलू काम–काजी महिलाएं यौन उत्पीड़न के निशाने पर अधिक हैं। ये दफ्तरों, कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की तुलना में बहुत कम पढ़ी–लिखी होती हैं। इनके आत्मविश्वास का स्तर भी बहुत कम होता है। असंगठित क्षेत्र में घरेलू कामगारों में करीब 30 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। प्रस्तावित विधेयक में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया कि भारत सरकार ने आईएलओ कंवेंशन 189

'आग़ाज़'

– सुश्री ममता (पत्नी श्री विजय कुमार प्रबंधक, पटना)

'नाश्ते से फारिग होकर मैं पौधों की कटाई छंटाई कर रही थी। रातभर हल्की–हल्की बूंदा–बांदी चल रही थी। पर सुबह हल्की धूप निकली हुई थी। सबकुछ धुला–धुला सा लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में संगीत सा घोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुले हाथों से यहां सौंदर्य उड़ेल दिया हो। मुझे पेड़–पौधों का बहुत शौक है और यही मेरे अकेलेपन के साथी हैं। इनके बीच वक्त गुजारना मुझे बहुत भला लगता है। तभी रश्मि की मीठी आवाज सुनायी दी। वो मां–मां पुकारती हुई मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने झट से उसे गले लगा लिया और पूछा हॉस्टल से कब आयी? रश्मि चहकते हुए बोली बस अभी–अभी ही आयी हूं मां। आते ही सबसे पहले आपसे मिलने दौड़ी चली आयी। आज तो आपके हाथों से बने पकौड़े और जलेबी खाकर ही मानूंगी। कहते–कहते वो मेरे गले से झूल सी गयी। अरे बाबा पहले अपना सामान तो ले चल अंदर, पकौड़े और जलेबी सब तेरी पसंद का बनाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी।

मन अंदर तक भीग गया, रश्मि को ऐसे खिलखिलाते और मुस्कराते देख। रश्मि के लिए पकौड़े बनाने मैं किचन में आयी तो मेरे पीछे–पीछे वो भी आ गयी। मैंने उसे बाहर धकियाते हुए कहा जा तू बैठकर टीवी देख मैं अभी आती हूं। पकौड़े बनाते–बनाते मन पांच वर्ष पूर्व लौट गया। याद आयी वो मनहूस शाम जब मैं, मेरे पति और मेरी इकलौती बेटी नेहा हम सब एक शादी से लौट रहे थे। मेरे पति ड्राइव कर रहे थे और हम सब आपस में हंसी मजाक करते सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे। उस वक्त मेरी बेटी मेडिकल के अंतिम वर्ष में थी। हम सब का सपना था उसे एक कामयाब डॉक्टर बनाने का। नेहा भी पढ़ाई में काफी तेज थी और वह एक सफल डॉक्टर बनने के सपने के साथ जीती थी।

हम सब अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि सामने से आते एक ट्रक ने हमारी गाड़ी में जबरदस्त टक्कर मारी। हमारी गाड़ी घिसटते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई। जब मेरी आंख खुली तो अपने को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे बायें हाथ में फ्रेक्चर हुआ था। सिर और पैरों में मामूली चोटें आयी थी। मैंने होश आते ही सबसे पहले अपने पति और नेहा के बारे में डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा –सॉरी, आपके पति की तो दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी और बेटी भी जीवन और मौत के बीच मझधार में झूल रही है। मेरी तो मानो दुनिया ही एक पल में उजड़ गयी। मेरी आत्मा चीत्कार उठी। आखिर भगवान ने मुझे किस भूल की इतनी बड़ी सजा दी थी।

अब मैं हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी के जीवन के लिए दिन–रात भगवान से प्रार्थना करती रही, पर शायद भगवान को मुझ अभागी मां पर तनिक भी दया नहीं आयी। आखिरकार तीन दिनों तक मेरी बेटी जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही, पर अंततः जीत मौत की ही हुई। मैं पूरी तरह से टूट गयी। मैं हर पल यही सोचती काश मैं भी मर जाती। अब मेरा जीवन किस काम का, किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं।

तभी वहीं अस्पताल में मेरी मुलाकात रश्मि से हुई। वो एक सुंदर सी किंतु नेत्रहीन लड़की थी। मगर उसमें गजब का आत्म–विश्वास था। उसने मुझे ढाढस बंधाते हुए कहा–'आंटी, जो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। शायद ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मेरा हाथ थामे मुझे सहलाती और समझाती रही।

अचानक मुझे लगा मेरी बेटी नेहा मेरे सामने खड़ी है और मुझसे कह रही है मां केवल मैं तुमसे दूर हुई हूं, मेरी आंखे नहीं। मैं इन आंखों से रश्मि के द्वारा इस दुनिया को, तुमको और अपने डॉक्टर बनने के सपने को देखना चाहती हूं। क्या तुम मेरी इस चाहत को पूरा करोगी। मुझे लगा मुझे जीने की वजह मिल गयी। मैंने तुरंत इस बारे में डॉक्टरों से बात की। उन्होंने मेरे इस फैसले का हार्दिक सम्मान किया और सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। रश्मि और उसके माता–पिता को तो मानो सारे जहां की खुशियां मिल गयीं और फिर बहुत जल्द ही नेहा की आंखें रश्मि के जीवन में स्थान पा गयी। रश्मि के माता–पिता ने उसका हाथ मेरे हाथों में देते हुए कहा, बहिन आज से यह आपकी बेटी हुई। आपने इसे नया जीवन दिया है। मेरे पास और भी दो बच्चे हैं। हम जब तब अपनी बेटी से मिलते रहेंगे। आखिर हम

लोग भी इसी शहर में तो रहते हैं।

इस प्रकार रश्मि मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गयी। उसने नेहा की आंखों के साथ–साथ उसके सपने को भी अपना लिया। अब वह मुझे साधिकार मां कहकर पुकारती और मैं उसे अपनी बेटी। उसने मेरी अधूरी ममता को पूर्णता प्रदान की और मेरे जीवन में एक शीतल हवा का झोंका बन गयी।

तभी उसकी आवाज सुनाई दी, "मां जल्दी आओ ना बहुत भूख लगी है" मैं अतीत से वर्तमान में लौट आई। मैंने प्लेट में पकौड़े और जलेबी रखी और बाहर बरामदे में रश्मि के साथ आ गयी। वो मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में ढेर सारी बातें बताती रही। कभी होस्टल के किस्से सुनाती तो कभी अपनी सहेलियों के। मुझे लगा हंसती मुस्कराती मेरी नेहा लौट आयी है।

बाहर नन्हें पौधों पर कलियां मुस्करा रही थीं और घर के अंदर नेहा की तस्वीर। शायद इसे ही कहते हैं नए जीवन का आगाज़।

आगाज़

डॉ0 बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर

सामाजिक चेतना के महान प्रवर्तक

- श्रीमती उमा सोमवंशे, पत्नी श्री जी.एस. सोमवंशे, स.मात्राप्रबंधक

डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेत्ता थे। वे एक राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ–साथ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

कई समाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर, अंबेडकर उन कुछ पहले दलितों में से एक बने, जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए। इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत की और इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय दलितों के राजनैतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। डॉ. अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्कू संघ ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की है।

भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश की सैन्य छावनी मऊ नगर में हुआ था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावडे नगर से संबंधित थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिये हमेशा प्रोत्साहित किया।

पिता के सेवानिवृत्त हो जाने एवं मां की मृत्यु के पश्चात रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव और दो बेटियां मंजुला और तुलसा ही कठिन हालातों में जीवित बच पाये। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद माध्यमिक स्कूल में जाने में सफल हुये। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम ''अंबावडे'' पर आधारित था।

रामजी सकपाल ने 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आये। यहां अंबेडकर एलिफिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद, अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अंबेडकर ने

मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वे कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले दलित बन गये। उनकी इस सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गयी और बाद में एक सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलूसकर ने उन्हें महात्मा बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलूसकर एक मराठा विद्वान थे। अंबेडकर की शादी दापोली की लड़की रमाबाई से तय की गयी थी। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य

डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेत्ता थे। वे एक राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ–साथ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

कई समाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर, अंबेडकर उन कुछ पहले दलितों में से एक बने, जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए। इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत की और इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय दलितों के राजनैतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। डॉ. अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की है।

भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश की सैन्य छावनी मऊ नगर में हुआ था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावडे नगर से संबंधित थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिये हमेशा प्रोत्साहित किया।

पिता के सेवानिवृत्त हो जाने एवं मां की मृत्यु के पश्चात रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव और दो बेटियां मंजुला और तुलसा ही कठिन हालातों में जीवित बच पायी। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद माध्यमिक स्कूल में जाने में सफल हुये। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम ''अंबावडे'' पर आधारित था।

रामजी सकपाल ने 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आये। यहां अंबेडकर एलिफिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद, अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वे कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले दलित बन गये। उनकी इस सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गयी और बाद में एक सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलूसकर ने उन्हें महात्मा बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलूसकर एक मराठा विद्वान थे। अंबेडकर की शादी दापोली की लड़की रमाबाई से तय की गयी थी। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार की नौकरी की। उनकी पत्नी ने अपने बेटे यशवंत को इसी वर्ष जन्म दिया। अंबेडकर अपने परिवार के साथ बड़ौदा चले आये, पर जल्द ही उन्हें अपने पिता की बीमारी के चलते मुंबई वापस लौटना पड़ा।

शिक्षा : गायकवाड़ शासक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन के लिये अंबेडकर का चयन किया। साथ ही इसके लिये छात्रवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद, अंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। शयनशाला में कुछ दिन रहने के बाद, वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाये जा रहे एक आवास क्लब में रहने चले गए और उन्होंने अपने एक पारसी मित्र नवल के साथ एक कमरा ले लिया। 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पी.एच.डी. से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंततः उन्होंने पुस्तक ''इवोल्युशन ऑफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया'' के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम, एक लेख, जिसका शीर्षक, 'भारत में जाति उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अपनी डाक्टरेट की डिग्री लेकर अंबेडकर लंदन चले गये, जहां उन्होंने 'लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स' में कानून का अध्ययन किया और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट (शोध) की तैयारी के लिये अपना नाम लिखवा लिया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़ कर भारत वापस लौटना पड़ा।

बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आये भेदभाव से अंबेडकर उदास हो गये और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी शिक्षक के रूप में काम करने लगे। यहां तक कि अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक जानकार अंग्रेज, मुंबई के पूर्व राज्यपाल

डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेत्ता थे। वे एक राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ–साथ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

कई समाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर, अंबेडकर उन कुछ पहले दलितों में से एक बने, जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए। इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत की और इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय दलितों के राजनैतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। डॉ. अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्खू संघ ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की है।

भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश की सैन्य छावनी मऊ नगर में हुआ था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावडे नगर से संबंधित थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिये हमेशा प्रोत्साहित किया।

पिता के सेवानिवृत्त हो जाने एवं मां की मृत्यु के पश्चात रामजी सकपाल के केवल तीन बेटे, बलराम, आनंदराव और भीमराव और दो बेटियां मंजुला और तुलसा ही कठिन हालातों में जीवित बच पाये। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद माध्यमिक स्कूल में जाने में सफल हुये। अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया जो उनके गांव के नाम "अंबावडे" पर आधारित था।

रामजी सकपाल ने 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आये। यहां अंबेडकर एलिफिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले दलित छात्र बने। पढ़ाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद, अंबेडकर लगातार अपने विरुद्ध हो रहे अलगाव और भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह वे कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले दलित बन गये। उनकी इस सफलता से उनके पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ गयी और बाद में एक सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान किया गया। इसी समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलूसकर ने उन्हें महात्मा बुद्ध की जीवनी भेंट की। श्री केलूसकर एक मराठा विद्वान थे। अंबेडकर की शादी दापोली की लड़की रमाबाई से तय की गयी थी। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार की नौकरी की। उनकी पत्नी ने अपने बेटे यशवंत को इसी वर्ष

डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान भारतीय विधिवेत्ता थे। वे एक राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ–साथ, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते थे। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। बाबासाहेब अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

कई समाजिक और वित्तीय बाधाएं पार कर, अंबेडकर उन कुछ पहले दलितों में से एक बने, जिन्होंने भारत में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान में अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। अंबेडकर वापस अपने देश एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौट आए। इसके बाद कुछ साल तक उन्होंने वकालत की और इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनके द्वारा उन्होंने भारतीय दलितों के राजनैतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। डॉ. अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्कू संघ ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की है।

भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश की सैन्य छावनी मऊ नगर में हुआ था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावडे नगर से संबधित थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था।

अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के

'सदुपदेश'

''जब भी आपको समय मिले, कुछ देर के लिए श्वास-प्रक्रिया को शिथिल कर दें और कुछ नहीं करना है- पूरे शरीर को शिथिल करने की कोई जरूरत नहीं है। रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में या कार में बैठे हैं, किसी और को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। बस श्वास प्रक्रिया को शिथिल कर दें। जैसे यह सहज चलती है, वैसे चलने दें। फिर आंखें बंद कर लें और श्वास को देखते रहें- भीतर गई, बाहर आई भीतर गई''

– 'ओशो'
ध्यान-विज्ञान से

'अमृत धारा - मृत्युंजय मंत्र'

बुजुर्गों के मरने का कारण उनकी उम्र नहीं है, मृत्यु का कारण शरीर के ढांचे का सख्त हो जाना है। योग, प्राणायाम, व्यायाम, आयुर्वेद और संतुलित आहार को अपनाकर व्यसन रहित होकर शरीर को लचीला बनाकर रखने से बुजुर्ग भी अधिक वर्ष तक जी सकते हैं।''

– 'स्वामी तथागत भारती'

काव्य सुधा

आत्मवंचना

- श्री गप्पू अग्रवाल (आत्मजा श्री नितिन अग्रवाल स.प्र.)

पा न सके तुम्हें हम
तुम्हें खो के
जागकर काटी हैं रातें
दिनों को खो के।

जिस किसी ने जो भी बोया
काटकर घर ले गया
घास, दूबी, बेर, कीकर
बिन बोये ही पा गया।

आम बोया जिस किसी ने
पीढ़ियों ने मौज की
एक पेड़ अरण्ड भी ने
सैकड़ों की फौज की।

एक कदली बड़ा होकर
सैकड़ों फल धारता
कुल कलंकित हो न जावे
वह भी अपना वारता।

कटा-कटा कर कलम सर को
गुलाब मुस्कराता रहा
अपना पीपल हरा-भरा है
पतझड़ आता जाता रहा।

खो गई नदियां स्वयं ही
सिन्धु की निस्सीमता में
क्या धरा है संचयित जल
जो ठहर गयी साधुता में।

ईश भी बोता है हमको
स्वयं को पाने की खातिर
प्रभु ने चाहा है कभी क्या
हम हों निकम्मे और शातिर।

रोते क्यों हैं फिर हम
अपने बोने पर
प्रकृति के नियमानुकूल
जैसा को तैसा होने पर।

वृक्ष- सर्वोत्तम उपहार

- सुरभि गोयल, (सुपुत्री श्री विशाल गोयल, सहा. महाप्रबंधक)

आज प्रदूषण की है समस्या बहुत बड़ी एवं भारी,
अगर न चेते हम सब तो नष्ट होएगी दुनिया सारी।
खत्म प्रदूषण को करने का बिल्कुल सरल उपाय,
हम सब मिलकर अधिकाधिक वृक्ष लगाएं।
वृक्ष रूप में प्रभु ने दिया है सर्वोत्तम उपहार,
पर्यावरण को शुद्ध बनाएं देकर शुद्ध बयार।
वे हरी-भरी धरती को करते, सुंदर पुष्प खिलाते,
प्राण वायु को शुद्ध बनाकर नवजीवन दे जाते।
मादक मधुर सुगंध बिखेर, हर मौसम में खिलते,
खट्टे-मीठे रसवाले व मधुर-मधुर फल देते।
बादल बरसे, सूरज चमके और तेज धूप आ जाए,
वृक्ष हमारे दोस्त हैं पक्के, छाया दे हमें बचाएं।
सच में वृक्ष हमारे लिए बने हैं ईश्वर का वरदान,
वृक्ष लगा कर ही बच पाएगी यह धरती और इंसान।

'बारिश'

-सुश्री ममता (पत्नी श्री विजय कुमार प्रबंधक, पटना)

देख बारिश की रिमझिम फुहार
लौट चला मन बचपन की ओर
वो मिट्टी के कच्चे घर की सोंधी खुशबू
बारिश में भीगते हम बच्चों की टोली
कभी कागज की कश्ती पानी में चलाते
कभी झट उछल अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते
तभी सुनायी देती मां की फटकार
मां के हाथों के बने पकवानों की मीठी महक
याद आती है गांव की पगडंडी और
बारिश में धुले खेत खलिहान
स्वच्छ निर्मल आसमान
अब न वो बारिश है न वो बचपन है...............
कंक्रीटों के जंगल में वाहनों की रेलमपेल है
कागज की कश्ती बनाना अब न कोई खेल है
बस्ते के बोझ से दबा बचपन एक जेल है।

'चुनावी कबड्डी'

- अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

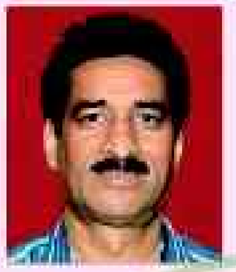

हमने नेताओं को देखा है
आजकल गांवों के खेत और खलिहानों में,
जो वोट-वोट चिल्लाकर, जाति धर्म
की खेल रहे हैं चुनावी कबड्डी।
हर नेता लंबे चौड़े वादे करके
लुभा रहा है भोली-भाली जनता को,
कोई दे रहा है लड़कियों के लिए
शादी के समय दस हजार का दहेज
तो कोई दे रहा है मुफ्त में
कंप्युटर-लैपटाप देने का झांसा
ताकि किसी तरह लालच देकर
युवा मतदाता को जाए फांसा
जनता भी एक आध महीने तक
ले रही है मान-मनौवल का मजा
क्योंकि उसे भी मालूम है
शायद ही पांच साल से पहले, यहां
कोई लौटकर वापस आए उनके पास
पूछे सुख-दुख जनता गरीब का
और दे कर्ज व मंहगाई से राहत
लगाए प्यार से गले, दे स्नेह का मरहम

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नराकास

संयोजक :

अंत: बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता - वर्ष 2010 - 11

प्रमाण पत्र

...राष्ट्रीय आवास बैंक.........को राजभाषा हिंदी के प्रयोग में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु अंत: बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में.......तृतीय.........स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदत्त।

अध्यक्ष

नई दिल्ली

दिनांक : 23.12.2011

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

मुद्रण तिथि : 31.01.2012